सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
E-mail : tameer1963@gmail.com
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक)	50 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

सच्चा राही
A/c. No. 10863759642 (Current A/c.)
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.
कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नं0 0522–2740406 अथवा ईमेलः tameer1963@gmail.com पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

जनवरी, 2019 वर्ष 17 अंक 11

मानवता

मानव को यदि पीड़ित पाओ, पीड़ा उसकी दूर करो
मानव को यदि प्यासा पाओ, प्यास तुम उसकी दूर करो
मानव को यदि भूखा पाओ, भूख तुम उसकी दूर करो
सत्य धर्म इस्लाम के द्वारा, दुराचरण को दूर करो
मानव सेवा करके प्यारे मानवता को आ़म करो
मानव को सुख जिन से पहुंचे ऐसे ही कुछ काम करो
ऊँच नीच यां रहे नहीं और छूत छात को दूर करो
प्रेम भाव की हवा चलाओ और शत्रुता दूर करो
हुनर सीख कर काम करो निर्धनता तुम दूर करो
नर नारी सब शिक्षित हों जड़ से जड़ता दूर करो
मानव सेवा करके प्यारे मानवता के काम करो
देश की उन्नति जिनसे हो तुम ऐसे ही कुछ काम करो

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Editing by: Qamaruzzama-9452295052

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल ह़यी हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	07
कालिजों के सीधे स्वभाव	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	08
इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद	हज़रत मौ0 अबुल हसन अली नदवी रह0	14
आदर्श शासक	मौलाना अब्दुस्सलाम क़िदवाई नदवी	18
भारत का संविधान	इदारा	22
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	23
सहा–बए–किराम रज़ि0	मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी रह0	28
इस्लामी कल्याणकारी व्यवस्थाएं	मौलाना सय्यिद जलालुद्दीन उमरी	35
अपील बराए तामीर	इदारा	41
उर्दू सीखिए	इदारा	42

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-माइदाः

अनुवाद–

और यहूदी कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, हाथ तो खुद उनके बंध गये हैं, और अपनी बात की वजह से उन पर फिटकार हुई[1] हां अल्लाह के तो दोनों हाथ ख़ूब खुले हैं जैसे चाहता है ख़र्च करता है और आपके पालनहार की ओर से आप पर जो उतारा गया उससे उनमें से बहुतों की सरकशी और इनकार में बढ़ोत्तरी ही होती जाती है और उनके बीच क़यामत तक के लिए दुश्मनी और द्वेष पैदा कर दिया है जब जब उन्होंने जंग के लिए आग भड़काई वह अल्लाह ने बुझा दी और धरती में वे फ़साद के लिए प्रयास करते रहते हैं, और अल्लाह फ़सादियों को पसंद नहीं करता[2](64) और अगर अहले किताब ईमान ले आते और परहेज़गारी अपनाते तो ज़रूर हम उनकी बुराइयों को मिटा देते और उनको नेमत के बाग़ों में ज़रूर दाख़िल करते[3](65) और अगर वे तौरेत और इंजील की और जो भी उन पर उनके पालनहार की ओर से उतरा उसकी पाबन्दी करते तो ज़रूर उनको खाना मिलता अपने ऊपर से और अपने पैरों के नीचे से, उनमें एक गिरोह ठीक रास्ते पर चलने वाला भी है और उनमें बड़ी संख्या कैसे बुरे कामों में लगी हुई है[4](66) ऐ रसूल! जो आपके पालनहार की ओर से आप पर उतरा है उसे पहुंचा दीजिए और अगर आपने ऐसा न किया तो आपने उसका संदेश न पहुंचाया और अल्लाह लोगों से आपकी रक्षा करेगा और अल्लाह इनकार करने वालों को रास्ता नहीं देता[5](67) आप कह दीजिए कि ऐ अहल–ए–किताब तुम उस समय तक किसी रास्ते पर नहीं जब तक तुम तौरेत और इंजील की और उसकी जो तुम्हारे पालनहार के पास से तुम पर उतरा पाबंदी करते और आपके पास आपके पालनहार की ओर से जो भी उतरा उससे उनमें से बहुतों की सरकशी और कुफ़्र बढ़ता ही जाता है तो आप इनकार करने वाले लोगों पर तरस न खाएं(68) बेशक जो मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और साबी और ईसाई उनमें जो भी अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान लाएंगे और नेक काम करेंगे तो उन पर न कोई भय है और न वे दुखी होंगे[6](69)

और हमने बनी इस्राईल से अहद लिया और उनकी ओर पैगम्बर भेजे, जब जब उनके पास पैग़म्बर ऐसी चीज़ लेकर आए जिसका उनका मन न चाहता था तो कितनों को उन्होंने झुठला दिया और कितनों का ख़ून करने लगे(70) वे समझे कि कोई परीक्षा न पड़ेगी बस वे अंधे बहरे हो गए फिर अल्लाह ने उन पर ध्यान दिया फिर भी उनमें बड़ी संख्या अंधी बहरी ही रही और वे जो कुछ करते हैं अल्लाह उसको खूब देख रहा है[7](71) और जिन्होंने भी कहा अल्लाह ही मसीह पुत्र मरियम है वे काफ़िर ही हो गए जब कि मसीह ने कहा था कि ऐ बनी इस्राईल उस अल्लाह की बन्दगी करो जो मेरा भी पालनहार है और तुम्हारा भी पालनहार है बेशक जो भी अल्लाह के साथ साझीदार ठहराएगा तो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना दोज़ख है और अन्याय करने वालों का कोई मददगार न होगा(72) बेशक वे भी काफ़िर हुए जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन का तीसरा है जबकि एक माबूद के सिवा कोई भी माबूद नहीं, अगर वे अपनी बातों से बाज़ नहीं आते तो उनमें इनकार करने वाले ज़रूर दुखद अज़ाब का मज़ा चखेंगे(73) फिर भला क्यों अल्लाह की ओर वे नहीं लौटते (संपर्क नहीं करते) और उससे माफ़ी नहीं मांगते जबकि अल्लाह तो बहुत माफ़ करने वाला बड़ा ही दयालु है(74) मरियम के बेटे मसीह तो मात्र एक पैग़म्बर हैं उनसे पहले भी पैग़म्बर गुज़र चुके और उनकी मां (अल्लाह की) एक वली (स्त्री) हैं, दोनों खाने खाया करते थे, आप देखिए कि हम उनके लिए कैसे निशानियां खोल खोल कर बयान करते हैं फिर आप देखिए कि वे वहां उलटे पावों फिर जाते हैं[3](75)

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. यहूदियों की बदतमीज़ियां हद से बढ़ी हुई थीं। कभी कहते हैं अल्लाह फ़क़ीर है हम धनी हैं, कभी कहते अल्लाह का हाथ बंध गया, इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं, अल्लाह कहता है यह उन पर लानत का परिणाम है।

2. केवल हठधर्मी से बात नहीं मानते और उनके इनकार में बढ़ोतरी होती जाती है और वे हर समय इस प्रयास में रहते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहें और मुसलमानों से समझौता के बावजूद वे मुश्रिकों से सांठ– गांठ करते हैं और कामना करते हैं कि मुसलमानों को पराजय हो मगर अल्लाह तआ़ला उनकी हर साजिश को नाकाम कर देता है।

3. पिछली सारी ख़राबियों के बावजूद अगर वे तौबा कर लें तो अल्लाह तआ़ला हर तरह उनको पुरस्कार से सम्मानित कर देगा।

4. यानी आपका काम बिना किसी कमी–बेशी के पहुंचा

शेष पृष्ठ....17 पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

शौहर की मौजूदगी में उसके बिना इजाज़त नफ़्ली रोज़े रखने की मुमानियतः–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया औरत को शौहर की मौजूदगी में बे इजाजत नफ़्ली रोजे जाइज़ नहीं, और उसके घर में उसकी इजाजत के बगैर किसी को आने की इजाज़त देना जाइज नहीं है।

(बुख़ारी मुस्लिम)

इमाम से पहले रूकूअ़ और सज्दे से सर उठाने की मुमानियतः–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया तुम लोग इमाम से पहले सर उठाने से नहीं डरते, कहीं अल्लाह तआ़ला (पहले सर उठाने वाले के) सर को गधे के सर से बदल न दे, या उसकी सूरत गधे की तरह न कर दे। (बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ की हालत में पहलू पर हाथ रखने से मना फरमाया है।

(बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत आयशा रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि जब खाना आ जाये तो फिर नमाज़ नहीं, और पाखाना और पेशाब लगा हो तो नमाज़ नहीं होती। (मुस्लिम)

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सख्त लहजे में फरमाया, लोगों की नमाज़ के वक्त निगाह ऊपर उठ जाती है और वह परवाह नहीं करते वह इससे बाज़ रहें वरना उनकी निगाहें उचक ली जायेंगी। (बुख़ारी)

नमाज़ में दायें बायें देखने की मुमानियतः–

हज़रत आयशा रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नमाज़ में इधर उधर देखने के बारे में सवाल किया, आप सल्ल0 ने फरमाया इस तरह की हरकत से शैतान बन्दों की नमाज़ उचक लेता है। (बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया नमाज़ में इधर उधर मुतवज्जेह होना हलाकत का सबब है अगर ज़रूरी हो तो नफ़्ल में हो सकते हो फर्ज में नहीं।

(तिर्मिजी)

शेष पृष्ठ....40 पर

कालिजों के सीधे स्वभाव के मुस्लिम छात्र और मुसलमानों के विभिन्न धार्मिक (मज़हबी) दल

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

मेरा एक पोता अब्दुल मन्नान जो बारहवीं क्लास का छात्र है उसके दो मित्र जो बी0ए0 के छात्र हैं उन्होंने मेरे पौत्र द्वारा मुझ से दीन पर बात चीत के लिए समय लिया, इतवार के दिन साढ़े दस बजे का समय तै हुआ वह दोनों छात्र समय पर आ गये साथ में मेरा पौत्र भी था मैंने उनको अपने पास बैठाया, उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया, शायद उनको मालूम न था कि सलाम करना चाहिए, मैंने उनको सलाम किया और हाथ मिलाया। उनकी खैरियत पूछी और पूछा कि वह मुझ से क्या जानना चाहते हैं। उनमें से एक ने कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि इस्लाम में यह शिया सुन्नी मतभेद क्या है और कैसे है?

उनके इस प्रश्न से मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मेरे बेटो इस्लाम में यह मतभेद न होना चाहिए था मगर अल्लाह की मसलहत, हो गया, इस का समझना तुम्हारे लिए कुछ कठिन है। मगर तुम मुझे बताओ कि तुम सुन्नी घर के हो या शिया घर के? दोनों ने कहा हम सुन्नी घर के हैं, मैंने कहा बेटो तुम इतमीनान रखो तुम हक़ पर हो तुम तो पाबन्दी से नमाज़ पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो, जवान हो बुरे कर्मों से बचो, किसी की बहन बेटी पर बुरी नज़र मत डालो, मेहनत से पढ़ो, रहा शिआ सुन्नी का मतभेद इस का समझना तुम्हारे लिए सरल नहीं है अतः इस में न पड़ना ही अच्छा है। दोनों ने कहा आपकी नसीहतें सर आंखो पर लेकिन कुछ तो बताइये।

अच्छा तो सुनो! अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के देहान्त के पश्चात उनके प्रतिनिधि (ख़लीफ़ा) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि0 हुए सारी उम्मत ने उनको अपना ख़लीफ़ा माना हज़रत अली रज़ि0 ने भी माना, मदीने की मस्जिद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद मस्जिदे नबवी कहलाती है सब उसमें नमाज़ पढ़ते थे। हज़रत अबू बक्र रज़ि0 इमाम होते थे। हज़रत अली रज़ि0 भी उनके पीछे नमाज़ पढ़ते थे जब हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के देहान्त के पश्चात हज़रत उमर रज़ि0, खलीफ़ा हुए सारे मुसलमानों ने उनको अपना ख़लीफ़ा माना। हज़रत अली रज़ि0 ने भी उनको अपना ख़लीफ़ा माना और मस्जिदे नबवी में उनके

पीछे पांचों वक़्त की नमाज़ पढ़ते थे। हज़रत उमर रज़ि0 के ज़माने में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ि0 समझ बूझ वाले और तमीज़दार हो गये थे वह भी हज़रत उमर रज़ि0 के पीछे नमाज़ पढ़ते थे, हज़रत उमर रज़ि0 को एक नजूसी गुलाम अबू लूलू ने मस्जिद के अन्दर छुप कर नमाज़ की हालत में ज़ख़्मी कर दिया जिससे आप शहीद हुये उस नजूसी ने अपने को भी मार लिया। अब मुसलमानों की राय से हज़रत उस्मान रज़ि0 ख़लीफ़ा हुए, हज़रत अली रज़ि0, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ि0 ने भी उनको ख़लीफ़ा माना, हज़रत उस्मान रज़ि0 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दामाद भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे एक बेटी रुकय्या का निकाह किया। कुछ दिनों पश्चात रुक़य्या का एक बीमारी में देहान्त हो गया तो अल्लाह के नबी ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुल्सूम से उनका निकाह कर दिया इसी लिए हज़रत उस्मान को जुन्नूरैन (दो प्रकाश वाला) कहा जाता है। हज़रत उस्मान ही के ज़माने में बड़ा काम कुर्आन को एकत्र करके एक किताब में जमा कर देना शुरु हुआ। पहले बहुत से सहाबा कुर्आन कंठस्थ किये हुए थे। और अपने तौर पर लिखे भी हुए थे। परन्तु सब सूरतें अलग अलग लिखी हुई थीं एक पुस्तक के रूप में न थी। तमाम हाफ़िज़ सहाबा के सहयोग से सब सूरतों को एक पुस्तक में एकत्र किया गया। सब सूरतें और आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेशानुसार लिखी गईं न आगे पीछे न कुछ घटाया गया न बढ़ाया गया यह बड़ा काम था।

बड़े खेद की बात है कि इन के काल में एक बहुत पढ़ा लिखा यहूदी अब्दुल्लाह बिन सबा इसलिए मुसलमान हुआ ताकि मुसलमानों में घुल मिल कर उन में फूट डाले और उनके इस्लामिक विश्वास में आशंकाएं पैदा करे, वह मुसलामन हुआ और अपने मिशन में सफल हुआ। मेरे बेटो शीअ़त का संस्थापक यही यहूदी है।

उसने कुछ नये मुसलमानों को बहकाना शुरु किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पश्चात उनके प्रिय दामाद हज़रत अली को ख़लीफ़ा होना चाहिए था। यह अबू बक्र और उमर की ख़िलाफ़त ज़बरदस्ती की थी। फिर उनके पश्चात भी हज़रत अ़ली को मौक़ा न दिया गया। उस्मान ख़लीफ़ा बन गये।

यह बातें हज़रत अ़ली, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ि0 ने न कहीं न सोचीं मगर मदीने के बाहर के कुछ नये मुसलमान उसके बहकावे में आ गये और मदीने के बाहर विशेष कर मिस्र में यह फित्ना इतना

बढ़ा की वहां के लोग मिस्र के हाकिम के विरोधी बन गये यहां तक कि मिस्र के कुछ लोग विद्रोह के लिए तैयार हो गये और एक गिरोह की शक्ल में मदीना आ गये तफ़्सील कहां तक बयान करूं। हज़रत उस्मान का घर घेर लिया गया। मदीने के नवयुवकों ने उस्मान रज़ि0 से उन विद्रोहियों से लड़ने की अनुमति मांगी परन्तु हज़रत उस्मान रज़ि0 ने उत्तर दिया कि मैं कलिमा पढ़ने वालों से लड़ने की अनुमति नहीं दे सकता न मैं स्वयं उन पर हाथ उठाऊंगा। परिणाम स्वरूप विद्रोहियों ने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया जिस समय उनको शहीद किया गया वह रोज़े से थे और कुर्आन पढ़ रहे थे कुर्आन पर ख़ून की छीटें पडीं वह कुर्आन आज भी किसी म्यूज़ियम में सुरक्षित है। जिस समय हज़रत उस्मान का घर घिरा हुआ था तो दरवाज़े पर कई नवयुवक जो सहाबा के पुत्र थे पहरा दे रहे थे उनमें हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ि0 भी थे परन्तु विद्रोही पीछे की छत पर चढ़ कर हज़रत उस्मान तक पहुंच गये थे और उनको शहीद कर दिया। उनकी एक पत्नी नाइला ने बचाने की कोशिश की तो उनकी एक उंगली तलवार से कट गई। इन्नालिल्लाहि व इन्नाइलैहि राजिऊन।

मेरे बेटो यहीं से शीअ़त शुरुअ़ हुई, जिन लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ि0 को शहीद किया था वह इब्ने सबा के आदमी थे उन को शीआ़ समझो लेकिन अभी उनकी शीअ़त इतनी ही थी कि वह हज़रत उस्मान के मुख़ालिफ़ थे। वह सब हज़रत अली के पास गये और कहा हम आप को ख़लीफ़ा चुनते हैं आप ख़िलाफ़त की बैअ़त लीज़िए, हज़रत अली रज़ि0 ने साफ़ इन्कार किया और कहा कि उस्मान शहीद कर दिये गये वह बे गोर व कफ़न पड़े हैं और मैं ख़िलाफ़त की बैअ़त लूं यह नहीं हो सकता है। विद्रोहियों ने उनको धमकी दी लेकिन उन्होंने बैअ़त न ली। मदीने के बुजुर्गों ने सोचा कि किसी को ख़लीफ़ा तो बनना ही है और इस वक़्त अ़ली से ज़ियादा बेहतर और कोई नही है। हज़रत उमर रज़ि0 ने अपने बाद ख़िलाफ़त के लिए जिन लोगों के नाम दिये थे उनमें हज़रत अ़ली का नाम भी था। जब मदीने के बुजुर्गों ने हज़रत अली रज़ि0 से ख़िलाफ़त की दरख़्वास्त की तो हज़रत अली रज़ि0 राज़ी हो गये और ख़िलाफ़त की बैअ़त ली।

यह इब्ने सबा के बहकाये हुए लोग जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया था उन को हम सबाई शिआ़ कहते हैं यह सब हज़रत अ़ली रज़ि0 के गुरोह में शामिल हो गये और ऐसे घुल मिल गये कि कातिलों को छांट कर अलग करना

और सज़ा देना असम्भव हो गया।

हज़रत उस्मान की शहादत की ख़बर मक्का और शाम पहुंची तो उम्मत बहुत दुखी हुई, मक्के के मुसलमानों का एक गुरोह हज़रत आईशा के नेतृत्व में निकल पड़ा, वह हज़रत उस्मान के कातिलों से बदला लेना चाहते थे मगर वह सभी हज़रत अ़ली की जमाअत में थे इसलिए हज़रत अली और आईशा की जमाअ़त में टकराव की नौबत आ गई थी बाहम बात चीत हुई दोनों बुजुर्गों में इख़्लास था तै पाया कि लड़ाई के बजाय दोनों मुत्तहिद हो जाएं फिर कातिलों को ढून्ढ कर उनको सज़ा दी जाए यह सुल्ह उन सबाई शीआ़ क़ातिलों के हक़ में न थी उन्होंने साजिश रची कि रात के अंधेरे में हज़रत आईशा के गुरोह पर तीर चलाए, हज़रत आईशा को ख़बर दी गई कि हज़रत अली की तरफ़ से बद अहदी हुई और तीर आ रहे हैं, हज़रत आईशा ने कहा अफ़सोस है कि हज़रत अली ने बद अहदी की जब कि हज़रत अली को इस की ख़बर भी न थी, हज़रत आइशा रज़ि0 ने मजबूर हो कर जवाबन तीर चलाने का हुक्म दिया, जब इधर के तीर हज़रत अली की तरफ़ गिरे तो सबाइयों ने हज़रत अली को ख़बर दी कि आइशा के लोगों ने बदअहदी की उन्होंने हमला कर दिया। हज़रत अली रज़ि0 को अफ़सोस हुआ मज़बूरन जवाब देने का हुक्म दिया और सुब्ह होते घमासान की जंग शुरुअ़ हो गई। हज़रत अली की जानिब अब्दुल्लाह बिन सबा पेश पेश था तारीख़ वाले लिखते हैं कि तेरह हज़ार जाने गईं। हज़रत आइशा की जमाअ़त को शिकस्त हुई, मगर हज़रत अली की तरफ़ से उनका पूरा एहतिराम किया गया। सबाई शीओं की ईद हो गई मगर अभी इनमें इतनी ही शीअ़त थी कि यह हज़रत उस्मान की मुख़ालफ़त करते थे यह सब हज़रत अली रज़ि0 की जमाअ़त में शामिल थे।

उधर शाम में हज़रत मुआविया ने मुतालबा किया था कि हज़रत उस्मान के क़ातिलों को सज़ा दी जाए जब तक सज़ा न दी जाएगी हम हजरत अली को ख़लीफ़ा न मानेंगे। मांग उनकी ठीक थी मगर हज़रत अली के लिए बहुत कठिन था इसलिए कि उन क़ातिलों की जमाअ़त, हज़रत अली की जमाअ़त में ऐसी घुली मिली थी कि क़ातिलों का मुतअय्यन करना मुश्किल हो रहा था। सबाइयों की साज़िश से पूरी जमाअत कह उठती थी कि हमने उस्मान को क़त्ल किया है। इस तरह पूरी जमाअत से क़िसास लेना आसान न था, हज़रत अली हज़रत मुआविया से कहते थे कि बैअ़त कर लो फिर मुत्तहिद हो कर कातिलों को मुतअय्यन करके उनको सजा दी जाय, लेकिन इत्तिहाद

न हो सका। जिसका कारण हज़रत मुआविया का अपनी मांग पर अड़े रहना और हज़रत अली रज़ि0 की ओर सबाई शीओं का उपद्रव रहा।

मेरे बेटो! मैंने शुरु ही में कहा था कि यह शीओं का मसअला समझना तुम कालेज के छात्रों के लिए कठिन है, बात संक्षेप करने के बावजूद फैलती जा रही है मगर कोशिश कर रहा हूं कि सरल विधि से तुम को समझा सकूं।

शीआ़ का अर्थ है पार्टी।, जो लोग हज़रत अ़ली की ओर थे वह सब अ़ली के शीआ़ (शी आ़ने अ़ली) कहलाते थे, परन्तु यह शब्द पारिभाषिक हो गया और विशेष प्रकार का विशवास रखने वाले शीआ़ कहलाए। हज़रत अ़ली की ओर के शिआ़ तीन प्रकार के थे–

1. वह शीआ़ जो पार्टी के अर्थ में थे वह हज़रत अली को ख़लीफ़ा बरहक़ मानते थे और चुंकि हज़रत मुआविया उनसे बैअ़त नहीं कर रहे थे इसलिए वह हज़रत मुआविया को बाग़ी (विद्रोही) मानते थे और हज़रत अली की ओर से उनसे लड़ने को सहीह समझते थे। और हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ि0 को सहीह ख़लीफ़ा मानते थे। मालूम रहे कि हज़रत मुआविया रज़ि0 की यह बग़ावत इजतिहादी ग़लती पर थी वह भी जब हज़रत हसन रज़ि0 से सुलह हो गई तो ख़त्म हो गई और हज़रत मुआ़विया मुसलमानों के पहले बादशाह बन गये।

2. वह सबाई शीअ़ जो हज़रत अली को शुद्ध ख़लीफ़ा मानते थे परन्तु पहले के तीनों ख़ुलफ़ा की ख़िलाफ़त को नहीं मानते थे। और उनको (अल्लाह की पनाह) ग़ासिब (अपहारक) कहते थे।

3. इसी दूसरे गुरुप में कुछ ऐसे शीआ़ थे जिन पर अब्दुल्लाह बिन सबा का ऐसा जादू चला कि वह हज़रत अली को ख़ुदा मानते थे, उनका विश्वास था कि ख़ुदा हज़रत अली के रूप में धरती पर आया है, हज़रत अली उनसे बहुत नाराज़ थे, उनको कठोर दण्ड दिये परन्तु उस दल को मिटा न सके यह नुसैरी शीआ़ कहलाते हैं। शाम देश का हाफ़िज़ुल असद इसी गुरोह का था यह जो हज़रत मुआविया और हज़रत अली के बीच लड़ाई चल रही थी यह लड़ाई सिफ़्फ़ीन की लड़ाई के नाम से जानी जाती है।

इस लड़ाई को समाप्त करने के प्रयास में एक बार दोनों ओर से पंच (हकम) नियुक्त हुए परन्तु उन का प्रयास विफल रहा यह प्रयास ''तहकीम'' के नाम से जाना जाता है, लड़ाई तो समाप्त न हो सकी अपितु इस ''तहकीम'' के विरोध में एक और दल पैदा हो गया जिसे ख़ारिजी के नाम से जाना जाता है, यह गुरोह हज़रत अ़ली और हज़रत मुआ़विया दोनों का घोर विरोधी था। इसी गुरोह के एक व्यक्ति अबदुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने

(ख़ुदा की पनाह) हज़रत अली रज़ि0 को वध करके जहन्नमी हो गया, हज़रत अली रज़ि0 शहीद हो गये उनके पश्चात उनके बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ि0 ख़लीफ़ा बनाए गये, उनकी भी हज़रत मुआविया से लड़ाई चलती रही अन्ततः रबीउल अव्वल 41 हिजरी को दोनों में संधि हो गई। और हज़रत मुआविया मुसलमानों के पहले बादशाह मान लिये गये। और मुसलमानों ने राहत की सांस ली इस लड़ाई में दोनों ओर की 70,000 जानें गईं, इस संधि से नम्बर 2 और नम्बर तीन वाले शीआ हज़रात हसन से नाराज़ हुए वह चाहते थे कि लड़ाई चलती रहे उनमें से कुछ लोगों ने हज़रत हसन को बड़े बुरे शब्दों से उन का अपमान किया।

मेरे बेटो! हज़रत अली के नम्बर एक तक वाले शीआ और हज़रत मुआविया रज़ि0 के लोग सुन्नी कहलाए तथा नम्बर 2 और 3 वाले शीआ अभी तक इतने ही शीआ थे कि वह हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम के विरोधी थे और हज़रत अली को शुद्ध ख़लीफ़ा मानते थे परन्तु बाद में इन शीओं में और बहुत से इस्लाम विरोधी विश्वास गढ़े उन में से कुछ यह हैं:—

1. शीआ 12 इमाम मानते हैं उनको पाप रहित मानते हैं जबकि सुन्नी ऐसा नहीं मानते सुन्नी केवल अल्लाह के नबियों और रसूलों को पाप रहित मानते हैं।

2. शीआ पवित्र कुर्आन में तहरीफ़ (अदल बदल) मानते हैं, जबकि सुन्नी कुर्आन को पूर्णतः सुरक्षित मानते हैं।

3. शीआ मुतआ अर्थात मर्द औरत यदि निकाह के बिना आपसी सहमति से कुछ निर्धारित धन पर निर्धारित समय तक पति पत्नी की भांति रहें तो इसको वैध मानते हैं जबकि सुन्नी इसको हराम कहते हैं।

4. शीआ मानते हैं कि हज़रत अ़ली, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के सम्बंध जो पहले तीनों ख़ुलफ़ा से थे वह केवल दिखावे के थे अन्दर से वह उनको बुरा जानते थे। जबकि सुन्नी उनमें सच्चा प्रेम मानते हैं। इनके विषय में और बहुत सी बातें हैं जिनके बयान का यहां मौक़ा नहीं बस इतना जानो कि यह वह शीआ थे जिन से हज़रत अली बराबर नाख़ुश रहे, यही वह शीआ थे जिन्होंने हज़रत हसन को दुख पहुंचाया और उनका अपमान किया, यही वह शीआ थे जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ि0 को यज़ीद के मुकाबले पर खड़ा किया, और हज़रत मुस्लिम का साथ छोड़ कर उनको शहीद होने दिया और हज़रत हुसैन रज़ि0 को मैदाने करबला में पहुंचाया, फिर यज़ीदी फौज में शरीक़ हो कर उनको उनके बहत्तर साथियों के साथ शहीद करके खुद को जहन्नमी बनाया।

शेष पृष्ठ....21 पर

–पिछले अंक से आगे

इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद

–हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी (रह0) – अनुवादकः मुहम्मद हसन अंसारी

रिसालत (दूतता)

रसूल के आ जाने के बाद इन्कार की गुंजाइश नहीं:–

नबी दुन्या में जो सभ्यता क़ायम करते हैं उसकी यह विशेषता है कि वह क़ानून बनाने का हक इन्सान को नहीं देती उसकी सभ्यता में इन्सान गुनहगार तो हो सकता है और खिलाफे क़ानून भी कर सकता है, उसको उसकी सभ्यता में इसकी सज़ा झेलनी पड़ेगी, लेकिन वह अल्लाह के क़ानून में लेश मात्र संशोधन के लिए भी सक्षम नहीं। उसके हलाल व हराम ज़मीन व आसमान और सूरज और चांद की तरह पायदार और प्रकृति के कायदा की तरह अपरिवर्तनशील हैं, बल्कि वह शुद्ध प्रकृति है जिसमें परिवर्तन नहीं।

अनुवादः—*अल्लाह की बनाई हुई प्रकृति जिस पर उसने इन्सानों को पैदा किया, अल्लाह की बनाई हुई संरचना बदली नहीं जा सकती, यही दीन सीधा है।*

(सूरः अर्रूम–30)

इसलिए इस सभ्यता में अभद्रता, गुनाह, भोग–विलास के साधन व उत्प्रेरक, खेल तमाशे और ग़फ़लत के साधन और तमाम नैतिक अपराध तथा जुर्म को हवा देने वाले कर्म व व्यस्ततायें हमेशा वर्जित रहेंगे। और जब तक इनकी प्रकृति न बदले (और इनमें से कोई चीज़ बदलने वाली नहीं) उनका हुक्म भी न बदलेगा।

मानवीय क़ानून का मक़सद केवल किसी ख़ास व्यवस्था की स्थापना लोक शान्ति की रक्षा और देश वासियों में व्यवस्था कायम करना होता है, इसलिए वह इन्सान के उन कर्म व आचरण से बहस करते हैं जो सोसाइटी और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करें, उनको वैक्तिक आचरण तथा आंतरिक खराबियों से बहस नहीं होती। इन कानूनों की हैसियत नैतिकता के एक शिक्षक और सुधारक की नहीं होती बल्कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की होती है।

लेकिन आसमानी क़ानून का उद्देश्य मात्र व्यवस्था क़ायम करना नहीं है, बल्कि इन्सानों को पवित्रता प्रिय और संयमी बनाना है। इसलिए इनकी नियमावली में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे आचरण ऐसे कार्य वर्जित होंगे जिनकी तरफ़ दुन्यावी क़ानून बनाने वालों का ध्यान ही नहीं जायेगा। इनमें ऐसे तमाम अवरोध बन्द होंगे जिनसे बुराई और अनैतिकता सोसाइटी में दाखिल होती है। जिनसे प्रवृत्ति में आराम तलबी आती है, क़ौम में शारीरिक विश्राम और विलासिता पैदा होती है, आचारण हीनता और आपराधिक प्रवृत्ति पैदा होती

है जिनसे सोसाइटी को वह घुन लगता है जो अन्दर ही अन्दर उसकी जड़ों को खोखला कर देता है, ऐसी सब चीज़ें वर्जित होंगी जो उसके नैतिक स्तर के अनुरूप नहीं हों या उसके धार्मिक सिद्धान्त के अनुकूल नहीं हों। उसकी सभ्यता संगीत को बढ़ावा नहीं देगा, मौज मस्ती और तफ़रीह में लीनता को पसन्द न करेगा। श्रृंगार तथा गर्व और धन–दौलत की होड़ को अच्छी नज़र से न देखेगा, यहां तक कि बेफायदा और अनावश्यक निर्माण जिनका मक़सद शान व शौकत के प्रदर्शन और आनन्द व मनोरंजन के अलावा कुछ न हो, इस सभ्यता में वर्जित होंगे। सोने चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल पूर्णरूप से और इनके आभूषण और रेशम का इस्तेमाल मर्दों के लिए वर्जित होगा। तस्वीरें और पत्थर के बुत और इन्सानी मूर्तियां सर्वथा हराम और वर्जित होंगी।

मानवीय कानून में केवल शाब्दिक प्रतिबन्ध ज़रूरी हैं और अपराधों से रोकने वाला सिर्फ सज़ा या पुलिस से भयभीत होता है, जहां यह रुकावटें मौजूद न हों वहां अपराध करने में केई चीज़ रुकावट नहीं बनती। दिलों में कानून की गरिमा और सम्मान नहीं होता। इसलिए कि वह अपने जैसे इन्सानों को बनाया हुआ होता है। जिनकी पवित्रता की कोई कल्पना लोगों के मन में नहीं होती। प्रायः कानून बनाने वाले सत्ता और कानून साज़ी के पद पर अपनी जुगाड़ या दौलत या ताक़त अथवा चुनावी प्रयासों की वजह से क़ाबिज हो जाते हैं और नैतिक रूप से उनका स्तर सैद्धान्तिक तौर से उनकी सीरत आम लोगों के मुकाबले में कुछ बुलन्द नहीं होती, बल्कि कभी–कभी वह घोर कदाचारी, सिद्धान्तविहीन, लालची, रिश्वतखोर और कमीने होते हैं। इसलिए कभी तो वह अपने उद्देशों और फायदों के लिए अपनी कमज़ोरियों तथा दुराचरणों को क़ानूनी सनद देने के लिए और कभी जनता और वोटरों की तुष्टिकरण के लिए नियम विरुद्ध क़ानून बनाते हैं और इसमें समय की मांग व इच्छाओं के अनुकूल संशोधन करते रहते हैं। जनता उनके क़ानून को दबाव में स्वीकार करती है और उनमें एक बड़ा वर्ग इनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करता है और अपनी अकलमन्दी और बहानों से इनको असमर्थ करने की कोशिश करता है। और क़ानून तथा देशवासियों के बीच खींचतान जारी रहती है।

इसके विपरीत वह्ई (ईश्वाणी) व रिसालत (दूतता) का लाया हुआ क़ानून खुदा और रसूल पर ईमान लाने वालों के लिए उतना ही पवित्र और माननीय होता है जितनी उनकी मज़हबी (धार्मिक) किताब और खुद उनका पैगम्बर। वहां इसको अपनी होशियारी से हराने, विवश करने और इसको तंग और दिक करने का कोई सवाल नहीं होता है कि ऐसा करना सर्वथा कुफ़्र व बग़ावत है।

अनुवादः—*और निःसंदेह जिन लोगों ने हमारी आयतों को हराने की कोशिश की उनके लिए सख़्त दुःख देने वाले अ़ज़ाब (दण्ड) है।*

(सूरःसबा—5)

वहां सिर्फ क़ानून की लफ़्ज़ी पाबन्दी और बाहरी व शारीरिक रूप प्रयाप्त नहीं बल्कि क़ानून की पाबन्दी की आत्मा भी ज़रूरी है क्योंकि क़ानूनसाज़ और हाकिम (अल्लाह) ग़ैब (परोक्ष) से वाकिफ़ है, अन्दर बाहर से आगाह है और उसको ज़ाहिरी क़ानूनी पाबन्दी से दुन्या के हाकिमों की तरह धोखा नहीं दिया जा सकता।

अनुवादः—*इसी प्रकार उन कुर्बानियों के गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुंचते बल्कि तुम्हारा तक़वा (परहेज़गारी) पहुंचता है।*

(सूरः अल्—हज्ज 37)

जिस क़ानून में यह विशेषताएं पायी जायेंगी उसका सभ्यता व समाज पर क्या असर होगा? सोसाइटी में किस दर्जे की पवित्रता व लज्जा, अमानत व दियानत, तहजीब व हया पैदा करेगा? और जब उन लोगों के हाथों में हुकूमत आयेगी और उनको धरती के किसी भाग में सत्ता प्राप्त होगी जो धर्म व समाज आचरण व रहन—सहन तथा सभ्यता के बारे में ऐसे सिद्ध किये हुए यथार्थ अडिग अक़ायद (विश्वास) रखते हैं जो उनको ज्ञान और जानकारी के अमर और स्थायी, साफ और सुरक्षित स्रोत से हासिल हुए है और जो प्रकृति के अटल क़ानून की तरह अपरिवर्तित व अनिरस्त हैं, जिनकी ट्रेनिंग उन आचरण में हुई जो इन्सानी लालच से पाक और खुदा के गुणों की छाया है, जिनका क़ानून अल्लाह की शरीयत का दूसरा नाम है जो न्याय इन्साफ के जिम्मेदार और अल्लाह के गवाह हैं तो उनकी हुकूमत और सत्ता के परिणाम क्या उससे भिन्न होंगे? जिसकी कुर्आन ने भविष्यवाणी की हैः—

अनुवादः—*यह वे लोग हैं कि अगर धरती पर हम उन्हें सत्ता दें, तो वे नमाज़ कायम करेंगे, और ज़कात देंगे, और भली बात का हुक्म करेंगे और बुराइयों से रोकेंगे। (सूरः अल्—हज्ज 41)*

इनसे स्वाभाविक रूप से जो सभ्यता और जीवन शैली वजूद में आयेगी, क्या उसकी पवित्रता और बुलन्दी में किसी को शक हो सकता है? इसके विपरीत जो सभ्यता उन लोगों के हाथों क़ायम हो, और जो सोसाइटी उनके द्वारा अस्तित्व में आये, जो मज़हब, आचरण व समाज और मानव—सभ्यता के या तो सिरे से कुछ तथ्य और सर्वमान्य बातें न रखते हों या उनके पास कुछ खोज हों जिनका कलैण्डर सूरज के चक्कर के साथ बदलता रहता हो, जिनके पास अच्छे बुरे की परख के लिए कोई स्थायी पैमाना और नैतिक मूल्यों के वज़न के लिए कोई न्यायसंगत तराजू न हो, जिनके यहां नैतिकता स्वार्थ वह हित का नाम हो और जिनका क़ानून स्वयं उन्हीं का बनाया हुआ हो और उनके ज्ञान व अनुभव और ज़रूरत व हित के

अधीन हो, जिनकी हुकूमत वैयक्तिक या नसली या क़ौमी सत्ता का साधन और उसका सेवक हो और उसका दुन्या में कोई सुधारक मिशन न हो, जिसकी बुन्याद किसी सिद्धान्त और नैतिक दर्शनशास्त्र पर न हो, तो इस सभ्यता और इस सोसाइटी में क्या इनसान को अपनी प्रवृत्ति की मंशा पूरी करने और अपने इच्छित कमाल तक पहुंचाने में सहायता मिल सकती है? और अगर उसने कुछ उम्र पायी और उसकी जड़ें ज़मीन में गहरी चली गयीं तो क्या इन्सान अपनी असली फितरत पर क़ायम भी रह सकेगा? और उसको अपना इच्छित कमाल याद भी रहेगा? इस सभ्यता को मानव सभ्यता कहने की वजह इसके अलावा क्या हो सकती है कि वह सूरत में इन्सान है यद्यपि वह अपनी जीवन शैली में बेजान मशीनें, अपनी सोच और ट्रेनिंग के लेहाज से बेशऊर जानवर और अपने कार्य के लेहाज से खूंख्वार दरिन्दे हैं।

जारी.....

❖❖❖

कुर्आन की शिक्षा.....

देना है आप किसी का ख़्याल न करें अल्लाह तआ़ला आपकी रक्षा करेगा और हिदायत भी अल्लाह के हाथ में है, आपका काम पहुंचाना है, अगर वे हिदायत पर नहीं आते तो आप ग़म न करें।

5. कोई मुसलामनों के नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होता जब तक उसका ईमान अल्लाह और आख़िरत के दिन पर न हो।

6. यहूदियों ने हमेशा अल्लाह के आदेशों की अवमानना की और वादा के ख़िलाफ़ किया, पैगम्बर जब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बात कहता तो मानते वरना इतने ज़ियादा निडर हो गये थे कि कितनों को उन्होंने क़त्ल कर डाला फिर उन पर आपदा आई और बख़्तनस्सर ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया, एक ज़माने तक क़ैदी बने रहे और प्रतिबंध झेलते रहे फिर अल्लाह ने एहसान किया और बैतुल मक़्दिस उनको वापस मिला, कुछ समय तक तो ठीक रहे लेकिन फिर वही हरकतें शुरु कर दीं हज़रत ज़करिया व हज़रत यहया को क़त्ल किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के क़त्ल के पीछे पड़ गए।

7. अब यह ईसाईयों का बयान है उनमें एक सम्प्रदाय हज़रत ईसा को ख़ुदा ही कहता था और एक सम्प्रदाय तस्लीस (तीन को मिला कर ख़ुदा) का मत रखता था इसी विश्वाश व धारणा को नकारा जा रहा है, एक मोटी मिसाल दी जा रही है वे दोनों खाते पीते थे मानवीय आवश्यकताएं उनको होती थीं जो खुद मोहताज हो वह इच्छा पूर्ति कैसे कर सकता है।

❖❖❖

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

आदर्श शासक

—मौलाना अब्दुस्सलाम क़िदवाई नदवी रह0 —अनुवादः अतहर हुसैन

दूसरे ख़लीफा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि0 का शासन काल

एक और निःस्वार्थ हाकिमः–

हज़रत उमर रज़ि0 के ही शासनकाल में एक और हाकिम उमैर बिन सअ़द रज़ि0 हैं। यह हिम्स में नियुक्त थे हज़रत उमर रज़ि0 ने उन्हें जब इस इलाक़े का हाकिम बना कर भेजा, तो एक वर्ष तक इनके यहां से कोई सूचना नहीं आई। आख़िर हज़रत उमर रज़ि0 ने उन्हें पत्र लिख कर बुलाया और यह ताकीद कर दी कि जो कुछ धनराशि तुम ने वसूल की हो उसे अपने साथ लेते आओ। पत्र मिलते ही हज़रत उमैर रज़ि0 ने अपना डण्डा हाथ में लिया और एक थैले में रास्ते के लिए कुछ आवश्यक सामग्री रख कर थैला कंधे पर डाल लिया और हिम्स से मदीना पैदल चल पड़े। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो रास्ते की थकान और मंज़िल की दूरी के कारण उनकी यह दशा थी कि बाल बढ़ गए थे, चेहरा धूल से अट गया था और शरीर का रंग बदल गया था। हज़रत उमर रज़ि0 ने उनकी यह दशा देखी तो पूछा कि तुम्हारा यह क्या हाल है? उमैर रज़ि0 ने उत्तर के रूप में कहा–

उमैर रज़ि0ः जैसा कि अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं, अच्छा खासा हूं, मेरे साथ दुन्या है जिसे खींच रहा हूं।

उमर रज़ि0ः– आखिर तुम्हारे पास क्या है?

उमैर रज़ि0ः– यह मेरा थैला है जिसमें रास्ते के लिए कुछ खाद्य–सामग्री है, मेरा प्याला है जिससे मैं खाता हूं और जिसमें अपना सिर तथा कपड़े धोता हूं और छोटी सी मशक है जिसमें वुज़ू और पीने का पानी रखता हूं, इसके अलावा मेरा डण्डा है जिस पर टेक लगाता हूं और आवश्यकता पड़ने पर शत्रु का मुक़ाबला करता हूं, खुदा की क़सम और दुन्या किसे कहते हैं।

उमर रज़ि0ः– क्या तुम पैदल आये हो?

उमैर रज़ि0ः– हाँ।

उमर रज़ि0ः क्या वहां कोई व्यक्ति न था जो तुम्हारे साथ कुछ भलाई करता और तुम्हारे लिए किसी सवारी का प्रबन्ध कर देता?

उमैर रज़ि0ः– मैंने उनसे न कोई सवाल किया और न उन्होंने ऐसा किया।

उमर रज़ि0ः– वह कितने बुरे लोग हैं जिनके पास से तुम आए हो।

उमैर रज़ि0ः– अमीरुल–मोमिनीन ख़ुदा से डरिये, अल्लाह ने आपको ग़ीबत से रोका है, वह लोग मुसलमान हैं, मैंने उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए देखा है।

हज़रत उमर रज़ि0 ने उनके काम–काज का अन्दाज़ा लगाना आरम्भ किया।

उमर रज़ि0:—क्या तुम्हें मालूम है, मैंने तुम्हें कहां भेजा था, तुमने क्या कारगुज़ारी दिखाई?

उमैर रज़ि0:- आपने मुझे जहां भेजा था, मैं उस शहर में गया, वहां ईमानदार लोगों को जमा किया और उन्हें महसूल इकट्ठा करने का आदेश दिया। जब उन्होंने धनराशि एकत्र कर ली तो उसे आवश्यक मदों में व्यय कर दिया अर्थात् आवश्यकतानुसार लोगों को बांट दिया, अगर आप भी उसके योग्य होते तो मैं आपके पास भी ज़रूर भेजता।

हज़रत उमर रज़ि0 इस बात पर बहुत खुश हुए और आदेश दिया कि उमैर रज़ि0 की फिर उसी स्थान पर नियुक्ति की जाए, लेकिन हज़रत उमैर रज़ि0 दुबारा यह ज़िम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार न हुए और आज्ञा चाही कि अमीरुल मोमिनीन अब मैं इस काम से क्षमा चाहता हूं न आपके शासनकाल में और न आपके बाद मैं कभी इस ज़िम्मेदारी को स्वीकार करूंगा। अनेकों सावधानियों के बाद भी खुदा की पकड़ से बचत नहीं। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि हुकूमत की बू—बास से अपने आप को बचाये रखूं परन्तु एक दिन एक ईसाई के लिए मुंह से निकल ही गया कि खुदा तुझे ज़लील करे। इसके बाद आज्ञा मांगी और अपने घर वापस आ गए जो मदीना से काफ़ी दूर था।

उनके जाने के बाद हज़रत उमर रज़ि0 ने एक व्यक्ति को सौ दीनार दे कर उनके पास भेजा। यह साहब जब हज़रत उमैर रज़ि0 के घर पहुंचे, तो वह दीवार के सहारे बैठे हुए अपने कुरते से जुएं साफ कर रहे थे, इनको देख कर कहा, आइए बैठिये, आप कहां से आ रहे हैं? क़ासिद ने उत्तर दिया, मदीने से आ रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन के बारे में पूछा! क़ासिद ने कहा, अच्छे हैं, अल्लाह के क़ानून को लागू करने में व्यस्त हैं। यह सुन कर आप कहने लगे, ''ऐ अल्लाह! उमर रज़ि0 की सहायता कर, वह तेरी महब्बत में सख़्त हैं।'' तीन दिन तक क़ासिद वहां ठहरा। हज़रत उमैर रज़ि0 के घर की दशा यह थी कि मुश्किल से एक टिकिया मुयस्सर होती थी जिसको मेहमान के सामने रख देते थे और स्वयं फ़ाक़े से रहते थे। जब क़ासिद ने उनकी यह दयनीय दशा देखी तो दीनार निकाल कर प्रस्तुत किया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने आपको ख़र्च करने के लिए भेजे हैं, लेकिन हज़रत उमैर रज़ि0 की ग़ैरत ने यह ग़वारा न किया कि यह भेंट स्वीकार करें। कहने लगे, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुरन्त मुहताजों, यतीमों तथा दीन—दुखियों को समस्त दीनार बांट दिये। यह रंग देख कर क़ासिद मदीना वापस आया और हज़रत उमर रज़ि0 को सारा वृत्तान्त सुनाया। हज़रत उमर रज़ि0

ने हज़रत उमैर रज़ि0 को बुलाया जब वह मदीना आए तो उन्हें गल्ले की यथेष्ट मात्रा तथा दो कपड़े प्रस्तुत किये, लेकिन उन्होंने यह कह कर अन्न लेने से इनकार कर दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लगभग सात सेर जौ घर पर छोड़ कर आ रहा हूं। हां कपड़े ले लिए और कहा, मेरी बीवी नंगी है, उसके पास तन ढांकने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। इसके बाद अपने स्थान पर वापस आए। थोड़े दिनों के बाद आपका स्वर्गवास हो गया। हज़रत उमर रज़ि0 को जब सूचना मिली तो दुःख हुआ। उनके लिए ख़ुदा से दुआ की और पैदल क़ब्रिस्तान गए। बड़े शोकपूर्ण भाव में कहने लगे, ''काश मुझे उमैर रज़ि0 जैसा कोई व्यक्ति मिले जिससे मैं मुसलमानों के मामलात चुकाने में सहायता लूं।

गवर्नर के आगमन का दृश्यः–

मदायन के गवर्नर हज़रत सलमान रज़ि0 के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब दूसरे हाकिम का हाल सुनिये। फ़ारूक़ी शासन काल के हाकिम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान हैं। हज़रत उमर रज़ि0 ने उन्हें ईरान की राजधानी मदाइन की हुकूमत सिपुर्द की। आपने राजाओं, महाराजाओं तथा उच्चकोटि के नेताओं के स्वागत समारोह तो अवश्य देखे होंगे और उनसे भी बढ़ कर भव्य समारोहों के वर्णन किताबों में पढ़े होंगे लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि0 नौशेरवां ऐसे सम्राटों के तेज़, प्रताप तथा प्रतिष्ठा से परिपूर्ण ईरान के केन्द्र मदाइन में किस शान से दाख़िल होते हैं, ज़रा इसका भी वृतान्त सुन लीजिए ''ख़च्चर पर सवार हैं जिस पर काठी भी नहीं है, केवल नीचे एक चारजामा पड़ा हुआ है, एक हाथ में रोटी का टुकड़ा है और दूसरे हाथ में गोश्त की हड्डी है। लोग गवर्नर के स्वागत के लिए नगर से बाहर निकल आए हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गवर्नर आते हैं, उनके सामने से गुज़र जाते हैं। किन्तु लोगों को मालूम तक नहीं होता कि कब आए और कब निकल गए। लोगों की आंखें क्यानी सम्राटों के विराट समारोह देख चुकी थीं। वह ईरान की राजधानी मदाइन के गवर्नर की ऐसी साधारण प्रतिमा का आभास भी कर सकते थे। जब प्रतीक्षा करते हुए काफ़ी समय बीत गया तो उन्होंने और आए हुए लोगों से पूछा कि अमीर की सवारी कहां है? तो लोगों ने कहा कि वही तो है जो अभी बड़ी सादगी से तुम्हारे पास से गुज़र गए। हैरान हो कर घोड़े दौड़ाए और तुरन्त ही हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि0 के पास पहुंचे और सलाम किया। वह उस समय भी उसी अवस्था में सवारी पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। इस्लामी अतिथि सत्कार ने

गवारा न किया कि अकेले खाते रहें बिना हिचकिचाहट के वही रोटी और हड्डी ईरान के रईसों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पेश कर दी। भला ईरान के कोमल स्वभाव रखने वाले रईस ऐसी मामूली चीज़ किस तरह खा सकते थे, उन्होंने दृष्टि बचा कर फेंक दिया, इसके बाद वार्तालाप तथा हाल चाल की पूछ–ताछ में लग गए। ईरानी सरदारों ने अनुरोध किया कि आपको जिस चीज़ की आवश्यकता हो हमें आज्ञा दें। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि0 ने उत्तर दिया कि मुझ को केवल पेट में डाल लेने के लिए कुछ खाना और जानवर के लिए चारा चाहिए इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं।

❖❖❖

कालेजों के सीधे स्वभाव.....

मेरे बेटो! यह शीआ हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम को अपना इमाम मानते हैं और अपने को उनका अनुयायी बताते हैं परन्तु इन तीनों बुजुर्गों का दामन उनके ग़लत विश्वासों से पाक है।

हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रह0 और उनके बेटे हज़रत ज़ैद रह0 का दामन भी शीअ़त से बरी है, हज़रत ज़ैद ही ने इनको राफ़िज़ी कहा था।

मेरे बेटो अब किसी हद तक शीअ़त को समझ गये होगे।

मैंने तुम्हारे मुतालबे पर इस विषय पर विश्वस्नीय पुस्तकों से शुद्ध जानकारी लेकर तुम तक पहुंचा दी लेकिन तुम को नसीहत करता हूं कि तुम इन झगड़ों में मत पड़ो, कालेज में तुमहारे साथ शीआ़, सुन्नी, हिन्दू, सिख, ईसाई सब पढ़ते होंगे तुम वहां मतभेद की बातें हरगिज न करना तुम वहां मानवता की बातें करना, परस्पर मित्रता तथा परस्पर आदर सम्मान का वातावरण बनाये रखना जब अवसर मिले तो वह भली बातें जो हर धर्म में पाई जाती हैं उन्हीं का ज़िक्र करना जैसे ईश भय (ख़ौफ़े ख़ुदा) जन सेवा (ख़िदमते ख़ल्क़) पारस्परिक सहानुभूति (बाहमी हमदर्दी) मेल मिलाप, बड़ों का आदर छोटों से प्यार, एक दूसरे की मदद जहां तक सम्भव हो भले काम अपनाना, हर बुरे काम से बचना आदि यही बातें कालेज में हों और यही बातें महल्ले और गांव में हों, बेटो! नमाज़ पाबन्दी से पढ़ना और अपने भले आचरणों से दूसरों को प्रभावित करना और हज़रत मौलाना अली मियां रह0 द्वारा स्थापित ''मानवता का सन्देश'' फोरम से परिचय प्राप्त करके उसके सिद्धान्तों को अपना कर और फैला कर इस देश के विभिन्न समुदायों के मिश्रित समाज को शांतिमय बनाने का प्रयास करना। अल्लाह तुम्हारी भी मदद करे और हमारी भी।

❖❖❖

भारत का संविधान

संविधान यह भारत का तो विश्व में प्रसिद्ध है
संग्राहकर्ता जनों की निपुणता होती इससे सिद्ध है
भारत में जो रहता है उसके जो अधिकार हैं
संविधान में लिखे गये हैं जिसके जो अधिकार हैं
शासक हो या शासित हो वंचित कोई रहा नहीं
उद्योगिक या श्रमिक हो वंचित कोई रहा नहीं
कृषक हो या नौकर हो जिसके जो अधिकार हैं
संविधान में वर्णित हैं जिसके जो अधिकार हैं
भाषा हो या कल्चर हो वंचित कोई रहा नहीं
शाकाहारी मांसाहारी वंचित कोई रहा नहीं
धर्म हो हिन्दू या इस्लाम हक़ है सबका एक समान
सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, सब का है इसमें सम्मान
मस्जिद, मन्दिर, गिरजा घर, सबका यां अधिकार है
गुरुद्वारा और गुरुग्रंथ सबका यां अधिकार है
भंवरी होती हिन्दू की, मुस्लिम करते अक़्दे निकाह
अपने अपने धर्म अनुसार होते सबके यहां विवाह
पति करे ना पत्नी पर हरगिज़ हरगिज़ अत्याचार
पत्नी अपने पति के साथ सदा करे वह सद व्यवहार
हर भाषा यां फले बढ़े हर मज़हब महफूज़ रहे
संविधान ने दिया है हक़ सबको यह मालूम रहे
बिना विवाह के नर नारी करें ना हरगिज़ वह सहवास
महापाप वह समझें इसको धर्म में रखते जो विश्वास
जनगण दिवस जब आता है हक़ सबके दोहराते हैं
राष्ट्र ध्वज फहराते हैं राष्ट्रगान हम गाते हैं
बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद हम कहते हैं
संविधान है लिखा उन्हींने, उनसे श्रद्धा रखते हैं
भारत प्यारा अमर रहे हिन्द हमारा जिन्दाबाद
अम्नो सुकूं भारत में रहे, भारत प्यारा जिन्दाबाद

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः आज कल सर पर बालों की खेती की जाती है, अगर कोई शख़्स बिल्कुल गन्जा हो तो उसके सर के चम्ड़ों में बाल पेवस्त कर दिये जाते हैं, इसी तरह अगर सर के अगले हिस्से के बाल उड़े हुए हों तो पिछले हिस्से से बाल निकाल कर अगले हिस्से में उसे पेवस्त किया जाता है, यह सूरत जाइज़ है या नहीं?

उत्तरः अगर किसी के सर के बाल उड़े हुये हों तो सर को बाल दार बनाना इलाज है, लिहाजा अगर इसी शख्स का बाल इस्तेमाल किया जाये या दूसरे इंसान के बजाये जानवरों का बाल या ऊन का मस्नूई बाल इस्तेमाल किया जाये तो हरज नहीं, लेकिन दूसरे इंसान का बाल इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे मना फरमाया है, फुक़हा ने भी उसके जायज़ न होने की सराहत की है।

(फतावा हिन्दियाः 5/358)

प्रश्नः बाल निकालना औरतों के लिए किस हद तक जाइज़ है और एक औरत के लिए क्या पैमाना है कि वह कौन कौन से आज़ा के बाल निकाल सकती है जैसे बगल के या नाफ के नीचे के बाल निकाले जा सकते हैं?

उत्तरः बग़ल और नाफ़ के नीचे के बाल तो हर हफ़्ता निकालना मस्नून है। और ज़ियादा दिनों तक छोड़े रखना मकरूह है, उससे मुख़्तलिफ बीमारियों का खदशा भी रहता है, सर के बाल औरतों को रखना वाजिब है, किसी शदीद उज़्र के बगैर मुंडाना हराम है, और इस तरह तराशना की मर्दों की मुशाबहत हो जाये मकरूह है, हाथों और पिंडलियों या चेहरे पर जो रोंगटे होते हैं उनको भी निकालना मकरूह है, इसी तरह भवें बारीक जाहिर करने के लिए बालों का उखाड़ना जाइज़ नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसी औरत पर भी लानत भेजी है, हाफिज़ इब्ने हजर रह0 ने शरहे बुखारी में अल्लामा तबरी के हवाले से नक़्ल किया है कि हुस्न बढ़ाने के लिए अल्लाह तआला की ख़िल्क़त में कोई भी कमी या बेशी करना जाइज़ नहीं न शौहर के लिए और न दूसरों के लिए।

हाँ अगर किसी औरत को मोंछ या दाढ़ी के चन्द बाल आ जायें तो फुक़हा ने उन्हें साफ करने की इजाज़त दी है क्योंकि यह खिलाफे आदत है और उसमें मर्दों से मुशाबहत पाई जाती है। (फतहुल बारीः 1/412)

प्रश्नः क्या सीने के बाल निकालना जाइज़ है?

उत्तरः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सी—नए—मुबारक से नाफ तक बाल की एक लकीर सी मौजूद थी, यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुतअद्दिद सहाबा ने नक़्ल की है, इससे मालूम हुआ कि मामूले मुबारक इन बालों के

बाक़ी रखने का था, इसलिए सीना, पेट, पुश्त के बाल निकालना बेहतर नहीं, फुक़हा ने सीना और पीठ के बालों को हल्क़ करने को खिलाफे अदब कहा है। (फतावा हिन्दियाः 5/387)

प्रश्नः क्या लड़कियां और खवातीन अपने हाथों और पैरों के बाल निकाल सकती हैं? आज कल WAXING और BLEACHING की मदद से ऐसा किया जा रहा है और क्या हम भवें और चहरे के बाल THREADING की मदद से निकाल सकते हैं?

उत्तरः फितरी तौर पर हाथों और पिंडलियों पर जितने बाल हुआ करते हैं, उन का निकालना इसी तरह मस्नूई तौर पर भवों को बारीक करना दुरुस्त नहीं है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से मरवी है कि नामिसा और मुतनम्मिसा पर लानत की गई है, ''नामिसा'' उस औरत को कहते हैं जो भवों के बाल खींच कर बारीक करे और जो औरत ऐसा कराये उसे मुतनम्मिसा कहा गया है।

(अबू दाऊद, हदीस नं0 4170)

प्रश्नः आज कल लड़कियां और ख्वातीन सर के बाल नहीं छिपातीं और यह समझती हैं कि नमाज़ की तरह दोपट्टा बांध कर रखें तो हम मज़हका ख़ेज (उपहासजनक) बन जाती हैं और दूसरी कौमों पर उसके बुरे असरात पड़ते हैं, सवाल यह है कि क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है कि दोपट्टा ओढ़ने के बाद थोड़े बहुत बाल नज़र आ जायें तो काबिले गिरिफ़्त न हों?

उत्तरः बाल गैर महरम और अजनबी मर्दों के सामने क़ाबिले सत्र हैं और उनको छिपाना वाजिब है, अल्लाह तआला ने औरतों को जिलबाब इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। कुर्आन में है,

अनुवादः— *''अपने ऊपर नीची कर लिया करें अपनी चादरें थोड़ी सी'' (अहजाबः59)*

जिलबाब नीची करने से मुराद घूंघट है जो पूरे सर को छुपाये हुए चेहरा पर लटकता है, चुनांचे फुक़हा ने लिखा है कि चाहे शहवत का गुमान न हो फिर भी चेहरा और हथेली के सिवाय बाल समेत औरत का पूरा वजूद सत्र में दाखिल है। (फतावा हिन्दियाः 369) दूसरी क़ौमों के लिए मज़हका समझना यह फिक्र सहीह नहीं है बल्कि उनके लिए यह एक मुसबत और सहीह दावते फिक्र है, और उसमें एक पैगाम है।

प्रश्नः क्या पिछली आस्मानी किताबों, तौरेत, ज़बूर और इन्जील का मुहर्रफ (परिवर्तित) होना कुर्आन से साबित है?

उत्तरः हाँ पिछली आस्मानी किताबों, तौरेत, ज़बूर और इन्जील का मुहर्रफ होना कुर्आनी आयात से साबित है सूरे निसा आयत 46 में आया है अनुवादः— *''जो लोग यहूदी हो गये हैं उनमें से ऐसे भी हैं जो कलाम को उसके मौक़ों से फेरते रहते हैं और कहते हैं कि हम ने सुना मगर हमने माना नहीं''* और सूरे माइदा आयत नं0 13 में है—

अनुवादः— *''गरज़ उनकी पैमान शिकनी ही की बिना पर हमने उन्हें रहमत से दूर कर दिया, और हमने उनके दिलों को सख़्त कर दिया, वह कलाम को उसके मौक़ा व महल से बदल देते हैं''* और सूरे माइदा आयत 41 में है, अनुवादः—

''उनमें से जो यहूदी हैं, झूठ के बड़े सुनने वाले, सुनने वाले दूसरे लोगों की खातिर जो आपके पास नहीं आते, कलाम को उसके सहीह मौक़ों से बदलते रहते हैं'' **और सूरे बकरा आयत 41–42 में है**

अनुवादः– *''और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने (अब) नाज़िल की है यह तस्दीक़ करती है उस किताब की जो तुम्हारे पास है और मत बनों उसके कुफ्र करने वालों के मुक्तदा, और मेरी आयतों को बेच न डालो थोडी सी क़ीमत पर और सिर्फ मुझी से डरो, और खल्तमल्त मत करो, हक़ को नाहक के साथ और न छिपाओ हक को जान बूझ कर''।*

प्रश्नः **सहाबी किसे कहते हैं?**

उत्तरः **सहाबी उस शख़्स को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा हो या आप की खिदमत में हाज़िर हुआ और ईमान के ऊपर उसकी वफ़ात हुई हो।**

प्रश्नः **सब सहाबी मरतबे में बराबर हैं या कम ज़ियादा?**

उत्तरः **सहाबी रज़ि0 के मरतबे आपस में कम ज़ियादा हैं लेकिन तमाम सहाबा बाकी उम्मत से अफ़ज़ल हैं।**

प्रश्नः **सहाबा में सबसे अफ़ज़ल सहाबी कौन हैं?**

उत्तरः **तमाम सहाबा में चार सहाबी सब से अफ़ज़ल हैं, अव्वल हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो तमाम उम्मत से अफ़ज़ल हैं, दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के सिवा तमाम उम्मत से अफ़ज़ल हैं, तीसरे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत अबू बक्र रज़ि और हज़रत उमर रज़ि0 के बाद तमाम उम्मत से अफ़ज़ल हैं, चौथे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत अबू बक्र रज़ि0 और हज़रत उमर रज़ि0 और हज़रत उस्मान रज़ि0 के बाद तमाम उम्मत से अफ़ज़ल हैं यही चारों बुज़ुर्ग हुजूर रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद आप के खलीफ़ा हुए।**

प्रश्नः **मौजूदा दौर में लोग मस्जिद में निकाह ख़्वानी को तरजीह देते हैं, जब कि जो लोग निकाह की गरज़ से जमा होते हैं, वह गुफ़्तगू में मसरूफ़ होते हैं, जिससे मस्जिद के आदाब की खिलाफ वर्ज़ी होती है तो ऐसा करना कैसा है, क्या मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में निकाह का सबूत पाया जाता है?**

उत्तरः **रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया निकाह के लिए मस्जिद बेहतरीन जगह है इमाम तिर्मिजी ने इस हदीस को नक़्ल करके मुअतबर करार दिया है, एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मस्जिद में एक गुरोह को देखा तो फरमाया यह इज्तिमा किस नौईयत (किस्म) का है? सहा–बए–किराम रज़ि0 ने अर्ज़ किया कि महफिले निकाह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया ''यह वाक़ई निकाह है, सिफाह (गलत तअल्लुक) नहीं है''।**

(मुसन्नफ अब्दुर्रज्ज़ाक 6/187)

इससे मालूम हुआ कि मस्जिद में निकाह करना अफज़ल है, और फुकहा ने उसे मुस्तहब लिखा है। (फतावा सिराजियाः 1/71) अल्बत्ता इस मौक़े से मस्जिद में दुन्यावी गुफ़्तगू करना कतअन जाइज़ नहीं, शुरकाए महफिल को इससे खुद बचना चाहिए वरना उन्हें गुफ़्तगू से रोका जाना चाहिए।

प्रश्नः बाज़ हज़रात मुहर्रम के महीने में शादी करने को मन्हूस जानते हैं, सही क्या है? रहनुमाई फरमाइये।

उत्तरः इस्लाम में कोई महीना, कोई दिन या कोई वक़्त मन्हूस और ना मुबारक नहीं, बल्कि मुहर्रम का महीना तो बहुत सी फजीलतों का हामिल है, एक रिवायत से मालूम होता है कि रमज़ान के बाद सबसे अफज़ल मुहर्रम का महीना है। (रमज़ान के रोज़ों के बाद रोजों के लिए सबसे अफज़ल महीना अल्लाह का मुहर्रम महीना है) अबू दाऊद, किताबुस्सियाम हदीस नं0 1429)। खुद यौमे आशूरा के बड़े फज़ाइल हैं लेकिन हज़रत हुसैन रज़ि0 की मज्लूमाना शहादत से यह समझ लेना कि उस दिन या उस महीने में शादी न की जाये, यह ख़याल ग़लत है, लिहाज़ा मुहर्रम के महीने में निकाह करने में कोई क़बाहत (खराबी) नहीं बल्कि यक गोना (एक तरह से) बेहतर है।

प्रश्नः अगर कोई मुसलमान औरत किसी गैर मुस्लिम मर्द से शादी कर ले और उसका शौहर इस्लाम क़बूल न करे, तो औरत के बारे में इस्लामिक अहकाम क्या हैं?

उत्तरः किसी मुसलमान औरत का किसी गैर मुस्लिम मर्द से ख्वाह किसी भी मज़हब का मानने वाला हो निकाह हरगिज़ दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुस्लिम खातून के लिए मुसलमान मर्द का होना जरूरी है, अल्लाह तआला का फरमान है, अनुवादः—

"और अपनी औरतों को मुशरिकों के निकाह में न दो जब तक वह ईमान न ले आएं"

(अल—बक़राः 221)

लिहाज़ा मज़कूरा औरत जब तक उस गैर मुस्लिम मर्द के साथ रहेगी, मुसलसल गुनाह की मुरतकिब होगी लिहाजा उस से अलाहिदगी जरूरी होगी।

(दुर्रे मुख़्तार 4/59)

प्रश्नः निकाह में किन चीज़ों का ख़्याल रखा जाय?

उत्तरः रिश—तए—निकाह के इन्तिखाब में इस्लाम ने दीन व अखलाक़ को मेयार (माप दण्ड) बनाने की तालीम दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया "निकाह चार वजहों से किया जाता है माल व दौलत की वजह से, खूबसूरती की वजह से, हसब व नसब की वजह से और दीन की वजह से, तो तुम दीनदार औरत का इन्तिखाब करके शादी में कामयाबी हासिल करो। (बुखारी 2/762, बाबुल किफाअ फिद्दीन)

दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लड़की को हिदायत दी कि जिस लड़के के दीन व अखलाक़ तुम्हें पसन्द आएं उन से अपनी बच्चियों का निकाह कर दो, वरना फित्ना पैदा होगा और बड़ा फसाद होगा। (तिर्मिजी— 1085) इन रिवायात की बुन्याद पर फुक्हा फरमाते हैं कि दीन व

अखलाक़ की रिआयत करना अफज़ल है। (बदाइउस्सनाए 2/317) ताहम अगर दीन व अख़लाक़ के अलावा दीगर उमूर को बुन्याद बना कर रिश–तए–निकाह करे तो इस्लाम में उसकी मुमानअत नहीं है और निकाह हो जायेगा।

प्रश्नः आम रवाज यह है कि वलीमा या शादी के मौके पर मेहमान एक लिफाफे में कुछ रूपये रख कर मेज़बान को दिये जाते हैं और मेहमान उसे एक ज़रूरी रवाजी अमल समझते हैं, क्या इस रस्म की इस्लाम में कोई अस्ल है?

उत्तरः यह कोई शरई अमल नहीं है अगर कोई शख़्स उसको शरई अमल समझे बगैर और किसी समाजी और अख़्लाक़ी दबाव के बगैर खुशदिली से बतौर हदीया कोई रक़म दे तो उसकी गुंजाइश है। क्योंकि यह शरअन हिबा (अनुदान) है और हिबा किसी भी शख्स को किसी भी मौक़े पर अपनी रजा मन्दी और रगबत से किया जा सकता है। (अल बहरुर्राइकः 7/483) लेकिन अगर समाजी दबाव के तहत लोग उसको लाज़िम समझने लगें या हुक्में शरई का दर्जा देने लगें तो यह सहीह नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के किसी अमल से उसका सुबूत नहीं मिलता कि दावत या वलीमा के मौके पर इस तरह रक़म पेश की गई हो, इसलिए इससे बचना चाहिए क्योंकि इस किस्म का अमल आहिस्ता आहिस्ता समाज में लाज़िम और वाजिब का दर्जा हासिल कर लेता है जो दुरुस्त नहीं। (मिरक़ातुल–मफातीहः 1/336)

प्रश्नः महर के सिलसिले में इस्लामी नुक–तए–नज़र क्या है और उसकी कम से कम मिक़्दार क्या है?

उत्तरः महर बीवी का कुर्आन व सुन्नत से साबित शुदा लाज़िमी और शरई हक़ है और उसकी अदायगी शौहर पर वाजिब है, अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया अनुवादः– *''और तुम बीवियों को उनके महर खुशदिली से दे दिया करो, अगर वह खुशदिली से तुम्हारे लिए उसका कोई हिस्सा छोड़ दें तो तुम उसे हंसी खुशी खाओ पियो।*

(अन्निसाः 4)

हदीस शरीफ में महर की कम से कम मिक़्दार दस दिरहम यानी मौजूदा अवज़ान के मुताबिक लगभग 32 ग्राम चांदी है और ज़ियादा की कोई तअ़यीन नहीं अल्बत्ता महर की मिक़्दार में मुबालगा से काम लेना और नाक़ाबिले अदायगी महर रखना शरीअत में महबूब नहीं, हज़रत उमर रज़ि0 ने फरमाया ''लोगो! महर ज़ियादा न रखा करो, अगर ज़ियादा महर रखना दुन्या की निगाह में इज़्ज़त व शराफत और अल्लाह तआला के नज़दीक तक़्वा की बात होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके ज़ियादा मुस्तहिक थे।

(तिर्मिजी, अबू दाऊद)

मालूम हुआ कि ज़ौजैन की माली हैसियत की रिआयत करते हुए महर अवसत दर्जा का होना चाहिए।

प्रश्नः एक मर्द व औरत का आपस में निकाह हुआ और दोनों ने एक ही दिन तन्हाई में गुज़ारा, फिर तलाक़ की नौबत आ गई तो ऐसी सूरत

शेष पृष्ठ....34 पर

सहा-बए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के असरात

—मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी रह0

आज से चौदह सौ साल पहले सहा—बए—किराम रज़ि0 के मुख़्तलिफ़ फज़ाइल ने सैकड़ों अशख़ास को अपना गिरवीदह बनाया, और उनके अन्दर की दुन्या को तह व बाला कर दिया, अगर तुम सहा—बए—किराम रज़ि0 के मज़हब, अख़्लाक़ और मुआश्रत वग़ैरह का असर क़ुबूल नहीं करते तो कम अज़ कम दूसरों की तक़लीद व मिसाल से तो तुम को इबरत व बसीरत हासिल कर लेना चाहिए।

सहा-बए-किराम रज़ि0 का मज़हबी असरः-

हज़रत जुनदुब बिन कअ़ब रज़ि0 ने एक जादूगर को एक हदीस के बमौजिब जब क़त्ल कर दिया और इस जुर्म में उनको वलीद बिन उक़बा अबी मुईत गर्वनर कूफा ने सज़ाए क़ैद दे दी, लेकिन जेलर उनके सौमो सलात की पाबन्दी से इस क़दर मुतअस्सिर हुआ कि खुद उनको रिहा कर दिया।

(उसुदुल्ग़ाबा तज़किरह हज़रत जुन्दुब बिन क़अब रज़ि0)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ि0 को यमन का अमीर बना कर रवाना फरमाया, वहां पहुंच कर उन्होंने नमाज़े फ़ज्र में बलन्द आहन्गी के साथ तकबीर कही तो हज़रत उमर बिन मैमून अज़दी रज़ि0 पर इसका जो असर पड़ा, उसको वह खुद बयान करते हैं ''मैं हमा तन उनका आ़शिक़ हो गया और उस वक़्त तक उनकी सुहबत से अलग न हुआ, जब तक शाम में उनको दफन न कर दिया''। उनके बाद ये रूहानी असर उनको खींच कर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 के पास लाया और ता दमे मर्ग उनकी ख़िदमत से अलग न हुए। (अबूदाऊद)

सहा—बए—किराम को जो मज़हबी इज़्ज़त हासिल थी उसका ये असर था कि लोग उनके पास आ कर तालिबे दुआ़ होते थे, चुनांचि एक बार हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 के पास बसरह से कुछ लोग आ कर तालिबे दुआ हुए तो उन्होंने दुआ की।

—हिन्दी इम्लाः राशिदा नूरी

लोग हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में छोटे—छोटे बच्चों को लाते थे, और वह उनके लिए दुआए बरकत करती थीं। (अल अदबुल मुफरद)

उमराए बनु उमय्या पर सहा—बए—किराम का ये असर था कि ये लोग मज़हबी मुआ़मलात में उनकी इक़तिदा को अपना फ़र्ज़ समझते थे, चुनांचि एक बार अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज को लिख भेजा कि मनासिके हज में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की मुख़ालिफत न करो, इस हुक्म की बिना पर हज्जाज खुद उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ, और कहा कि क्या इरशाद है? बोले कि ''अब चलना चाहिए'' उसने कहा

इस वक़्त? बोले हां, बोला बदन पर पानी डाल लूं तो हाज़िर हूं (नसई)।

ये असर न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि कुफ़्फ़ार पर भी पड़ता था। हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने अपने सहन खाना में एक मस्जिद बना ली थी और उसमें नमाज़ अदा करते थे लेकिन जब वह नमाज़ में कुर्आन पढ़ते थे तो कुफ़्फ़ार के अहलो अयाल उनकी रिक़्क़त आमेज़ आवाज़ से इस क़दर मुतअस्सिर होते थे कि खुद कुफ़्फ़ार को ये ख़ौफ़ पैदा हो गया था कि कहीं उनके बच्चों और बीबियों को वह शैदा–ए– इस्लाम न बना लें। (बुख़ारी)

हज़रत अय्यूब अन्सारी रज़ि0 कुस्तुनतुनिया पर हम्ले में शरीक़ थे यह हम्ला रूमियों के खिलाफ़ था हज़रत अय्यूब हंसारी का कुस्तुनतुनिया से कुछ पहले इन्तिक़ाल हो गया वहीं वह दफ़्न हुये तो हम पर उनका ये असर था कि जब क़हत पड़ता था तो रूमी उनकी क़ब्र के वास्ते से पानी बरसने की दुआ मांगते थे। (हसनुल मुहाज़िरह 1–100, सहा–बए –किराम रज़ि0 का अख़्लाकी असर)।

हर मुक़दमे में गवाही की ज़रूरत होती है लेकिन सहा–बए–किराम रज़ि0 को उनकी दयानत ने उससे मुसतसना कर दिया था, हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन, अम्र बिन नुफ़ैल पर एक औरत ने ग़सब का दावा किया, उन्होंने कहा जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ये सुना कि जो शख़्स बिला इस्तिहक़ाक़ किसी की एक बालिश्त भर ज़मीन लेगा ख़ुदा ज़मीन के सातों तबक़ को उसके गले का तौक़ बनाएगा, मैंने उसकी ज़मीन का कोई हिस्सा नहीं लिया, मरवान के यहां मुकदमा पेश था, उसने कहा अब मैं आप से गवाह नही मांगता। (मुस्लिम)

उमरा व सलातीन तो फ़िर भी मुसलमान थे, सबसे ज़ियादा असर कुफ़्फ़ार पर भी पड़ता था, हज़रत अबू बक्र रज़ि0 कुफ़्र ज़ार मक्का को छोड़ कर निकले तो राह में इब्नुद्दग़ना मिल गया, जो अरब में सय्यदुलक़ारह के ख़िताब से मुम्ताज़ था, उसने पूछा कहां जाते हो? बोले ''मुझे मेरी क़ौम ने निकाल दिया है, अब हिज़रत करके ख़ुदा की इबादत करूंगा उसने कहा कि तुम जैसा शख़्स न वतन से निकल सकता है न निकाला जा सकता है, तुम ग़रीबों के लिए माल पैदा करते हो, सि–लए–रहमी करते हो, मेहमान नवाज़ी करते हो, मसाइब क़ौमी में इआ़नत करते हो, मैं तुम्हारा ज़ामिन हूं। चलो और अपने मुल्क़ में ख़ुदा की परस्तिश करो, चुनांचे वह पलटे और चन्द शराइत के साथ कुफ़्फ़ार ने उनको इबादत गुज़ारी की इजाज़त दे दी। (बुख़ारी)

हज़रत नईम बिन अब्दुल्लाह इन्हाम रज़ि0 निहायत फय्याज़ सहाबी थे, और क़बीला बनू अदी की बेवाओं और यतीमों की परवरिश करते थे, कुफ़्फ़ार

पर उनकी इस नेकी का ये असर था कि जब उन्होंने हिज़रत का इरादा किया तो तमाम कुफ़्फ़ार ने रोक लिया और कहा कि जो मज़हब चाहो इख़्तियार करो अगर कोई जान तुम पर कुर्बान करेगा तो सब से पहले हमारी जान तुम पर कुर्बान होगी। (उसुदुल्ग़ाबा– 33)

सहा–बए–किराम रज़ि0 का इल्मी असरः–

सहाबा किराम को इल्मी फुयूज़ व बरकात ने एक चश–मए–शीरीं बना दिया था, जिसके गिर्द तिशनगाने इल्म का हमेशा मजमअ़ रहता था। हज़रत कुज़्आ का बयान है कि ''मैं हज़रत अबू सईद खुदरी रह0 की ख़िादमत में हाज़िर हुआ तो वह फतवा दे रहे थे और लोग उन पर टूटे पड़ते थे, मैंने इन्तिज़ार किया, जब भीड़ भाड़ छटी तो मैंने खुद अपना सवाल पेश किया''। (अबू दाऊद)

हज़रत सबीअ़ बिन ख़ालिद रज़ि0 का बयान है कि मैं कूफ़ा में एक तिजारती मक़सद से आया मस्जिद में जा कर देखा कि गरोह के गरोह लोग एक मशहूर और नुमायां शख़्स के गिर्द बैठे हुए हैं, मैंने ग़ौर किया तो मालूम हुआ कि वह हिजाज़ी आदमी हैं मैंने पूछा कि ये कौन बुज़ुर्ग हैं? लोगों ने मुझे आंखें दिखाईं और कहा कि तुम इनको नहीं जानते? ये हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल यमान रज़ि0 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के असहाब से हैं''।

(अबू दाऊद किताबुल फितन)

हज़रत अबू इद्रीस ख़ौलानी रज़ि0 का बयान है कि मैं दमिश्क़ की मस्जिद में गया देखा कि एक जवान जिसके दांत मोती की तरह चमकते हैं लोगों का पेशवा है, लोग अगर किसी चीज़ में इख़्तिलाफ़ करते हैं तो उसी की सनद पकड़ते हैं और वह जो कह देता है उस पर रुक जाते हैं मैंने पूछा ये कौन बुज़ुर्ग हैं? लोगों ने कहा ''मुआज़ बिन जबल रज़ि0''।

(मुवत्ता मालिक)

सहा–बए–किराम रज़ि0 की इल्मी इज्ज़त व असर का सिर्फ इससे अन्दाज़ा हो सकता है कि अगर किसी को सहा–बए–किराम रज़ि0 से कुछ पूछना होता था तो वह दूसरों से इआ़नत व सिफ़ारिश का ख़्वास्तगार होता था, हलाल ग़ाज़ी को हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 से एक हदीस दरयाफ़्त करने की ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने हज़रत साबित रज़ि0 को शफीअ़ बनाया। (मुस्लिम)

हज़रत आइशा बिन्त तल्हा रज़ि0 ने हज़रत आइशा रज़ि0 के दामने तरबियत में परवरिश पाई थी उनका बयान है कि लोग दूर दूर से उनके पास हाज़िर होते थे और चूंकि मुझ को हज़रत आइशा से कुरबत हासिल थी इसलिए बूढ़े बूढ़े लोग मेरे पास आते थे जवान लोग मुझ से भाई चारा करते थे और मुझ को हद्या देते थे और अतराफ़े मुल्क से खुतूत भेजते थे जब मेरे पास कोई ख़त आता तो मैं कहती कि ''ऐ खाला ये फुलां का ख़त है

और फुलां का हद्या, फरमाती कि जवाब लिख दो और हद्या का मुआविज़ा दे दो।''

अवाम तो अ़वाम उमरा व सलातीन की मग़रूर गर्दनें भी सहा–बए–किराम रज़ि0 के इल्मी असर के सामने झुक जाती थी। एक बार अमीर मक्का ने रूइयते हिलाल के मुतअल्लिक़ ख़ुत्बा दिया और अख़ीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 की तरफ़ इशारा करके कहा कि ''तुम में एक ऐसा बुजुर्ग है, जो ख़ुदा और रसूल के अहकाम का मुझसे ज़ियादा आ़लिम है।

(अबू दाऊद)

ख़ुलफा हज़रत ऐमन रज़ि0 की फसाहते लिसानी और तलाक़ते लिसानी के इस क़दर गिरवीदा थे कि उनको ख़लीलुल ख़ुलफा कहा जाता था, बावजूदे कि उनके जिस्म पर बर्स के दाग़ थे, ता हम अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान गर्वनर मिस्र उनको अपने साथ बिठा कर खाना खिलाता था।

(हुसनुल मुहाज़रा लिल्सिवती– 174)

सहा–बए–किराम रज़ि0 का आम असरः–

सहा–बए–किराम रज़ि0 अगरचि दुन्यावी हैसियत से एक फ़क़ीरे बे नवा थे, लेकिन आम असर ने उनको बादशाह बना दिया था, इसलिए कि जहां जाते थे, निहायत, धूम धाम से उनका इस्तक़बाल होता था। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 शाम को गये तो लोग ''ऐनुत्तमर'' तक इस्तक़बाल को आए। (सहीह–मुस्लिम)

एक शख़्स हज को जा रहे थे, राह में हज़रत अबू ज़र मिल गए और बा हम कुछ सवाल व जवाब हुआ। उन्होंने मक्का पहुंच कर देखा कि लोगों ने एक शख़्स को घेर रखा है, भीड़–भाड़ को चीरते फाड़ते वहां तक पहुंचे तो देखा कि वही बुजुर्ग हैं, जो मक़ामे रबज़ह में मिले थे, यानी अबूज़र रज़ि0।

(मुअ़त्ता इमाम मालिक)

एक बार हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 के हाथ एक शख़्स ने अपना मरीज़ ऊँट फरोख़्त किया उसका दूसरा शरीक आया तो उसने कहा कि ''ऊँट तो मैंने ऐसे ऐसे बूढ़े के हाथ बेच दिया, उसने कहा कि तूने ग़ज़ब कर दिया वो इब्ने उमर रज़ि0 के पास आया और ऊँट को वापस ले जाना चाहा, मगर हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 ने ख़ुद ही वापस करना पसंद नहीं किया। (बुख़ारी)

एक बार हज़रत बिलाल के भाई ने एक अरब घराने में शादी करनी चाही, उन लोगों ने कहा कि अगर बिलाल आयें तो हम शादी कर सकते हैं, हज़रत बिलाल रज़ि0 आये तो कहा कि ''मैं बिलाल बिन रिबाह रज़ि0 हूं, और ये मेरा भाई है, लेकिन उसकी मज़हबी और अख़्लाक़ी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें निकाह करने या न करने का इख़्तियार है, उन लोगों ने कहा कि तुम जिसके भाई हो हमको उसके निकाह करने में क्या उज़्र हो सकता है। (तब्क़ात इब्ने सअ़द)

हज़रत हारिस बिन हिशाम रज़ि0 एक बार जिहाद की ग़रज़ से शाम को रवाना

हुए तमाम मक्का में कोहराम मच गया, और तमाम लोगों ने उनकी मुशाईयत की, जब वह मक़ामे बतहा में पहुंचे तो खड़े हो गये और लोग उनके गिर्द खड़े हो कर रोने लगे।

(इस्तीआ़ब)

हज़रत अमीर मुआ़विया हज़रत अकदर रज़ि0 की निहायत इज़्ज़त करते थे, और चूंकि अपनी क़ौम पर उनका निहायत असर था, इसलिए उनके ज़रिए उनकी क़ौम को अपने साथ मिलाना चाहते थे, जब मरवान ने मिस्र का मुहासिरह किया, तो उन्होंने अपनी क़ौम को उसके ख़िलाफ मैदाने जंग में ला कर खड़ा कर दिया, मरवान ने अहले मिस्र से मुसालिहत कर ली, और हज़रत अकदर को एक हीला से बुला कर क़त्ल करवा दिया, जब वह क़त्ल हो गये तो तमाम फौज़ ने शोर किया कि अकदर क़त्ल हो गए, इस आवाज़ का सुनना था कि अस्सी हज़ार आदमियों ने हमला करके मरवान के महल को घेर लिया, यहां तक कि मरवान ने उनके ख़ौफ़ से दवाज़ा बन्द कर लिया। (हुसनुल मुहाजरा–75)

एक बार हज़रत उक़बा बिन आ़मिर जुहनी रह0 मस्जिदे अक़्सा में नमाज़ अदा करने के लिए रवाना हुए तो और लोग भी उनके साथ साथ हो गए, उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्यों आते हो? बोले सिर्फ इसलिए कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबी हैं, हम चाहते हैं कि आपके साथ चलें आपको सलाम करें।

(मुसनद इब्ने हंबल)

बद्दू निहायत वहशी ख़ुद ग़र्ज़ और बे तअ़ल्लुक होते हैं, लेकिन वह भी इस शिद्दत के साथ सहा–बए–किराम रज़ि0 के गिरवीदह थे कि एक बार हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ि0 ऊँट की तलाश में सहरा में पहुंचे तो बद्दुओं ने घेर लिया और उनके गिर्द तवाफ़ करने लगे। (अबू दाऊद)

उमरा व सलातीन का गिरोह सख़्त मग़रूर होता था, लेकिन सहा–बए–किराम रज़ि0 के सामने उनका नशा गुरूर भी बिल्कुल जाता रहता था एक बार ज़मा–नए–हज में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 के पांव में नेज़े की नोक चुभ गई, हज्जाज ख़ुद इआदत को आया और कहा कि ''काश हमको उस शख़्स का पता लग जाता जिसके नेज़े से आपके पांव में ज़ख़्म लगा है, बोले ये तुम्हारा ही कुसूर है कि तुम ने हुदूदे हरम में हथियार लाने की इजाज़त दी''। (बुख़ारी)

एक बार उन्होंने अब्दुल मलिक बिन मरवान को ख़त लिखा, और तरी–कए–सुन्नत के मुवाफ़िक़ पहले अपने नाम से इब्तिदा की, अब्दुल मलिक के हाशिया नशीनों ने कहा कि बे अदबी है, अब्दुल मलिक ने कहा उनकी ज़ात से यही ग़नीमत है।

(तब्क़ात इब्ने सअ़द)

न सिर्फ सहाबा बल्कि सहाबा के अदना दर्जे के मुतवस्सिलीन तक भी उमरा व सलातीन की निगाह में मुअ़ज़्ज़ज़ हो जाते थे, एक बार हज़रत उमर बिन अब्दुल

अज़ीज़ लोगों का वज़ीफ़ा तक़सीम फरमा रहे थे एक शख़्स इस ग़र्ज़ से हाज़िर हुआ और कहा कि मैं कुरैश में से हूं, उन्होंने कहा कि कुरैश की किस शाख़ से हो? उसने कहा बनू हाशिम से फ़रमाया बनु हाशिम के किस ख़ानदान से, बोला मैं अली बिन अबु तालिब का गुलाम हूं उन्होंने सीने पर हाथ मार के कहा कि मैं भी अ़ली का गुलाम हूं, फिर अपने ख़ज़ान्ची से कहा कि गुलामों को क्या वज़ीफा दिया जाता है? उसने कहा सौ से दो सौ दिरहम तक, फरमाया ये अली बिन अबी तालिब का गुलाम है, इसको साठ दीनार दो, फिर कहा कि अब अपने मुल्क़ में जाओ, हर साल तुम को उसी क़दर रक़म पहुंचती रहेगी जितनी गुलामों को मिलती है। (उसुदल्ग़ाबा)

सहा-बए-किराम रज़ि0 का अक़ाएद पर असरः-

ख़वारिज का मज़हब है कि गुनाहे कबीरह के मुरतकिब की शफ़ाअ़त कुबूल न होगी, एक बार खवारिज का एक गिरोह हज़ के लिए रवाना हुआ और मदीना पहुंचा तो देखा कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 हदीस की रिवायत कर रहे हैं, जहन्नमियों का ज़िक्र आया तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि ख़ुदा एक क़ौम को शफ़ाअ़त के ज़रिए से जहन्नम से निकालेगा, यज़ीद फक़ीह भी ख़वारिज के गिरोह में शामिल थे, उन्होंने एतिराज़ किया कि आप ये क्या कह रहे हैं? ख़ुदा ख़ुद कहता है, तूने जिसको जहन्नम में डाल दिया तो उसको रुस्वा ही किया। (आले इमरान–192) जब तब वह लोग जहन्नम से निकलने का क़स्द करेंगे, उसमें लौटा दिया जाएगा।

बोले तुम कुर्आन पढ़ते हो? उन्होंने कहा हाँ, बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस मक़ाम को भी जानते हो जहां ख़ुदा आपको मबऊस करेगा? कहा हां, ये आपका वही मकामे महमूद है, जिसकी बरकत से ख़ुदा जिसको चाहे जहन्नम से निकालेगा, उसके बाद और वाक़िआते क़ियामत का ज़िक्र किया, तो लोगों पर इस तक़रीर का ये असर हुआ कि सबने कहा भला ये शेख झूठी रिवायतें बयान कर सकते है? चुनांचे ये लोग पलटे तो एक आदमी के सिवा कोई शख़्स ख़ारजी न रह सका। (सही–मुस्लिम)

सहा-बए-किराम रज़ि0 का सियासत पर असरः-

इस्लाम की तारीख में सहा–बए–किराम रज़ि0 ने अपनी आज़ादाना नुक़्ता चीनी और अमली मुख़ालिफ़त से मुख़्तलिफ सियासी इन्क़लाबात पैदा कर दिये हैं–

एक बार हज़रत अबू मरियम अज़दी रज़ि0 हज़रत अमीर मुआ़विया रज़ि0 के दरबार में हाज़िर हुए, उनको इनका आना ना गवार गुज़रा और बोले कि ''हम तुम्हारे आने से कुछ खुश नहीं हुए'' उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक हदीस सुनी है, मैं आपके सामने उसको

बयान करता हूं, आपने फरमाया है कि ख़ुदा जिसको मुसलमानों का वली बना दे वह अगर उनकी हाजतों, जरूरतों और नादारियों से (आंख बन्द करके) पर्दे में छुप जाये तो ख़ुदा भी क़ियामत के दिन उसकी हाजतों, ज़रूरतों और नादारियों से (आंख बन्द कर के) आड़ में छुप जाएगा, हज़रत अमीर मुआ़विया रज़ि0 पर उसका ये असर हुआ कि रिआ़या की हाज़त बरारी के लिए एक मुस्तक़िल शख़्स को मुक़र्रर कर दिया।

(अबू दाऊद)

एक ग़ुलाम एक शख़्स के बाग से खजूर का पौधा चुरा लाया और अपने आक़ा के बाग में लगा दिया, मरवान बिन हकम उस वक़्त मदीने का गवर्नर था, साहिबे बाग़ ने ग़ुलाम पर मुकद्दमा दाइर किया, और मरवान ने ग़ुलाम को हिरासत में ले लिया, और उसका हाथ काटना चाहा, ग़ुलाम का आक़ा हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, और उस मामले के मुतअल्लिक़ गुफ़्तगू की, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि फल की चोरी में हाथ नहीं काटा जा सकता, उसने कहा तो मरवान को भी इस हदीस की ख़बर दीजिए, वह गए और मरवान के सामने हदीस बयान की तो उसके ग़ुलाम को रिहा कर दिया।

(अबू दाऊद)

बैतुलमाल से मुसलमानों का जो वज़ीफ़ा मुक़र्रर था, अख़ीर ज़माने में उसकी वसूली के लिए एक चिट मिलती थी, जिस पर लिखा होता था कि फुलां शख़्स को इस क़दर ग़ल्ला मिलना चाहिए, चुनांचि बअ़ज़ लोग ये करते थे कि इस चिट ही को फ़रोख़्त किया करते थे, चूंकि हदीस में है कि जब तक माल पर बाएअ़ का क़ब्ज़ा न हो जाए, उसकी बैअ़ जाइज़ नही, इस लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 ने इस पर एतिराज़ किया, और मरवान ने हुक़्म दिया, कि ये तरीक़ा मौक़ूफ़ कर दिया जाए, रावी का बयान है कि इस हुक़्म की इस सख़्ती के साथ तअ़मील की गई कि मैंने पुलिस को देखा कि लोगों के हाथ से उन रुक़ओं को छीन रही है।

(मुस्लिम)

❖❖❖

आपके प्रश्नों .....

में कितना महर वाजिब होगा, जब कि मियां बीवी के दर्मियान सिर्फ तन्हाई हुई, इज़दिवाजी तअल्लुक़ात काइम नहीं हुए हैं?

उत्तरः अगर मियां बीवी के दर्मियान इतनी देर की तन्हाई हुई जिसमें इज़दिवाजी तअल्लुक़ काइम किया जा सकता था, और कोई रुकावट उसमें नहीं थी तो महर के मुआमिला में यह तन्हाई सुहबत के हुक्म में होगी और कुल महर वाजिब होगा।

(बदाये सनायेः 2/584)

❖❖❖

इस्लामी कल्याणकारी व्यवस्थाएं

—मौलाना सय्यिद जलालुद्दीन उमरी

एक व्यक्ति अपनी जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का मुहताज होता है, उसी प्रकार की आवश्यकताएं समाज के अन्य बहुत से व्यक्तियों की भी हो सकती हैं। जन कल्याण के काम इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किये जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ सेवाएं तो वे हैं जिनसे समाज की सामान्य आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उनका लाभ पूरी आबादी या उसके बड़े भाग को प्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है। कुछ सेवाएं वे हैं जो समाज की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करती हैं, परन्तु कुल मिलाकर इनसे भी पूरे समाज को लाभ होता है। इस्लाम ने दोनों प्रकार की सेवाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।

जनकल्याण के काम व्यक्ति भी करते हैं और संस्थाएं भी। बहुत सी सेवाएं कल्याणकारी राज्य के दायित्वों में सम्मिलित हैं। वह अपने साधनों का अधिकांश भाग उन पर ख़र्च करता है। यहां यह बताना ज़रूरी नहीं है कि उनकी सीमाएं क्या हैं, एक का कार्यक्षेत्र कहां समाप्त होता है और कहां से दूसरे का शुरु होता है? स्पष्ट है कि साधनों के अनुपात में उनका क्षेत्र घटता और बढ़ता चला जाएगा। इन सबके बीच सहयोग एवं योगदान भी हो सकता है और होना ही चाहिए। इससे उत्तम और हितकारी परिणामों की आशा की जा सकती है।

इस्लाम अपने समस्त आदेशों में मूलतः व्यक्ति ही को संबोधित करता है। इसका कारण यह है कि संस्थाएं हों अथवा राज्य, सबकी बुन्याद व्यक्ति ही है। वही उनके ढांचे की रचना करता और उनके स्वभाव को बनाता है। इस विषय में भी उसने सर्वप्रथम व्यक्ति को संबोधित किया है।

पवित्रता एवं स्वच्छता की शिक्षा एवं व्यवस्थाः-

हितकारी सेवाओं में से एक सेवा यह भी है कि लोगों में पाकी—सफ़ाई (पवित्रता एवं स्वच्छता) की चेतना जागृत की जाए, उसकी आवश्यकता तथा महत्व ज़ेहन में बिठाया जाए, गन्दगी और मलिनता की हानि स्पष्ट की जाए और उससे घृणा उत्पन्न करायी जाए। छोटी या बड़ी आबादियों में सफ़ाई की निगरानी की जाए, इस मामले से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाए और इस बात का प्रयास किया जाए कि लोग गन्दगी में रहने को बाध्य न हों। इन सब बातों को पश्चिम की देन समझा जाता है। हालांकि इस सिलसिले में इस्लाम ने आदर्श भूमिका निभाई है। वह गन्दगी से घृणा और स्वच्छता से लगाव की भावना को उभारता है। इसके लिए शिक्षण—प्रशिक्षण, प्रेरणा तथा उत्साहवर्धन से काम लेता है। वह पवित्रता

एवं स्वच्छता का उत्कृष्ट विचार होता है और उसके अनुसार समूचे समाज को तैयार करता है।

मार्ग से कष्ट दूर करनाः–

किसी देश की आर्थिक एवं भौतिक उन्नति में यातायात के साधनों की बड़ी भूमिका होती है। जहां मार्ग साफ़ सुथरे और सुरक्षित हों, यात्रा की कठिनाइयां कम से कम हों और सहूलतें व सुगमता अधिक से अधिक पाई जाएं, वहां उन्नति एवं प्रगति के अवसर भी उसी अनुपात में बढ़ते चले जाते हैं। इसी उद्देश्य से सड़कों और पुलों का निर्माण होता है, ख़तरनाक मार्गों को यात्रा के योग्य बनाया जाता है, मार्ग–चिन्ह लगाए जाते हैं, ट्रैफिक के नियम बनाए जाते हैं, यात्रा को दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जाता है और यात्रियों को सुविधा एवं आराम पहुंचाया जाता है। आधुनिक युग ने अंतरिक्ष यात्रा के मार्ग खोल दिए हैं। इसकी अपनी ख़ास समस्याएं हैं जिनके समाधान के प्रयत्न भी निरंतर हो रहे हैं।

मार्ग की बड़ी–बड़ी कठिनाइयों और रुकावटों को दूर करना और यात्रा को सरल व सुगम बनाना, वास्तव में राज्य का एक बुन्यादी दायित्व है। संसार का प्रत्येक कल्याणकारी राज्य इस दायित्व को स्वीकार करता है, परन्तु इसमें व्यक्तियों का सहयोग अत्यावश्यक है। जहां व्यक्ति जागरूक और प्रशिक्षित हों, उनके मन में अल्लाह का डर तथा इन्सानों की भलाई और सहानुभूति की भावना हो, वहां यह काम सरल होता है। अन्यथा अनेक उपायों के बावजूद यात्रा कठिनाइयों से सुरक्षित नहीं हो सकती। क़दम–क़दम पर कष्ट तथा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। कभी यात्री भयंकर दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। इन सब बातों के अनुभव रात–दिन होते रहते हैं।

इस प्रकार की हितकारी सेवाओं के दायित्व का भार इस्लाम के निकट भी राज्य पर ही होता है, परन्तु उसने इस मामले में व्यक्ति को भी सम्मिलित किया है और उसकी भूमिका के महत्व को भी स्पष्ट किया है। उसने व्यक्ति को जिन जनहित संबंधी सेवाओं की स्पष्ट शब्दों में शिक्षा दी है उनमें से एक यह है कि वह मार्ग को साफ़ और सुगम रखे और उन पर जो रुकावटें एवं बाधाएं हों दूर करे। इस विषय की कुछ रिवायतें यहां प्रस्तुत की जा रही हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया–

• ''ईमान की सत्तर से अधिक या साठ से अधिक शाखाएं हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ और ऊँची शाखा 'ला इला–ह इल्लल्लाह' (अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं) का कथन है और सबसे छोटी शाखा रास्ते से कष्ट को दूर करना है। लज्जा भी ईमान ही की एक शाखा है।

(मुस्लिम)

जनहित के कामों का महत्व

अल्लाह पर ईमान से व्यक्ति के अन्दर उसके बन्दों को राहत पहुंचाने की भावना जागृत और विकसित होती है। यदि ईमान सही तौर पर दिल में मौजूद हो तो व्यक्ति का प्रयत्न होगा कि उसके द्वारा दूसरों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। इसी का एक छोटा सा पहलू हदीस में बयान हुआ है। कोई भी ईमान वाला व्यक्ति रास्ते से पत्थर, कांटें, कूड़ा–करकट और गन्दगी जैसी चीज़ें जिनसे जनता को कष्ट पहुंचता है, सहन नहीं करेगा बल्कि वह उन्हें हटा देगा।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

• ''मैंने जन्नत में एक व्यक्ति को चलते–फिरते देखा (जिसका प्रमुख अमल यह था कि) उसने रास्ते में मौजूद एक ऐसा पेड़ काट दिया था जो लोगों को कष्ट दे रहा था।'' (मुस्लिम)

अभिप्राय यह कि उसने लोगों के रास्ते से एक कष्ट देने वाली वस्तु को दूर किया तो उसके लिए जन्नत की राह सरल हो गई और उसके लिए किसी बाधा के बिना जन्नत के बाग़ों में घूमना संभव हो गया।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

•''एक व्यक्ति ने राह चलते हुए एक कांटेदार झाड़ी देखी। उसने वहां से हटा दिया। अल्लाह ने उसके इस कर्म को पसन्द किया और उसको बख़्श दिया।'' (मुस्लिम–बुखारी)

एक अन्य हदीस में इस प्रकार है–

•''एक व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था कि उसने रास्ते के बीच में वृक्ष की एक बड़ी शाखा देखी। उसने मन में सोचा कि खुदा की क़सम! मैं इसे मुसलमानों के रास्ते से हटा दूंगा ताकि वह उन्हें कष्ट न दे। अतः अल्लाह ने उसे जन्नत में पहुंचा दिया।''

(मुस्लिम)

ऊपर की हदीस में उस व्यक्ति को जन्नत का हक़दार ठहराया था जिसने एक कांटेदार झाड़ी को काट दिया था जिससे रास्ते में लोगों को कष्ट हो रहा था। परन्तु इस हदीस में रास्ते से केवल एक शाखा के हटाने पर उसकी शुभ सूचना दी गयी है। इसका अर्थ यह है कि लोगों के रास्ते से छोटे–से–छोटा कष्ट दूर करना और उनको साधारण से साधारण लाभ पहुंचाना भी इन्सान को जन्नत जैसी शाश्वत नेमत का हक़दार बना देता है।

हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ि0 ने अल्लाह के रसूल सल्ल0 से निवेदन किया–

•''आप मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जिससे फ़ायदा उठा सकूं। आपने फ़रमाया–मुसलमानों के रास्ते से कष्ट दूर कर दो।''

(मुस्लिम, इब्ने माजा)

यद्यपि इन हदीसों में केवल रास्ते का कष्ट दूर करने का उल्लेख है, परन्तु जैसा कि इमाम नववी ने लिखा है, ''इनमें मुसलमानों

को लाभ पहुंचाने और उनकी हानि को दूर करने वाले प्रत्येक कर्म की श्रेष्ठता को चिन्हित किया गया है।'' (शरह मुस्लिमः 2/238 भारत में प्रकाशित)

यहां यह बात भी सामने रहनी चाहिए कि ये हिदायतें मुस्लिम समाज को सामने रख कर दी गयी हैं, अतः इनमें मुसलमानों के रास्ते से कष्ट (या कष्टदायक चीज़) दूर करने का उल्लेख है। अन्यथा यह एक आम आदेश है। किसी भी इन्सान के रास्ते से कष्ट का दूर करना नेकी और सवाब का काम है। अतः इन्हीं रिवायतों में से कुछ में 'अन्नास' (यानी आम लोग) का शब्द प्रयुक्त हुआ है जो जनसाधारण के लिए है।

''हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 अल्लाह के रसूल सल्ल0 से उदधृत करते हैं कोई व्यक्ति मार्ग से कष्ट दूर करता है, तो यह भी एक सदक़ा है।'' (बुख़ारी)

रास्ते से कष्ट दूर करने का जो प्रतिदिन (सवाब) बयान हुआ है, इस हदीस से इसका स्पष्टीकरण होता है। सदक़े या दान का उद्देश्य विपत्ति में किसी की सहायता करना और उसे राहत व आराम पहुंचाना है। रास्ते से कष्ट दूर करने का उद्देश्य भी यही है कि राही को कष्ट न पहुंचे और वह सकुशल एवं सरलतापूर्वक रास्ते तय कर इस विचार से यह एक सदक़ा का दान है।

(फ़तहुल बारीः 5/70)

रास्ते की कष्ट और बाधाएं हर प्रकार की होती हैं। उनको दूर करना और राह चलना आसान बनाना एक दीनी और धार्मिक काम है और मुसलमान इस पर उत्कृष्ट अज्र व प्रतिदिन की आशा कर सकता है।

सराय एवं होटल का निर्माण करनाः–

इसी से मिलती–जुलती सेवा होटलों और सरायों (मुसाफ़िरख़ानों) का निर्माण है, जहां यात्रियों को उचित सहूलतें प्राप्त हों और वतन से दूर होने के कारण उन्हें कष्टों का सामना न करना पड़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 की एक रिवायत से इसका अज़्र और सवाब तथा श्रेष्ठता स्पष्ट होती है। अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

''मोमिन की मृत्यु के बाद भी जिन कर्मों और नेकियों का सवाब उसे पहुंचता रहता है उनमें ये चीज़ें भी सम्मिलित हैं, वह ज्ञान जो उसने सिखाया और फैलाया, नेक सन्तान जो उसने छोड़ी (क्योंकि उनको नेकी के मार्ग पर डालने में उसकी कोशिशों का दख़ल था), कुर्आन शरीफ़ जिसका उसने अपने बाद किसी को वारिस बनाया या जो मस्जिद उसने बनवायी या मुसाफ़िरों के लिए कोई मकान जिसका उसने निर्माण कराया या नहर जो उसने खुदवाई या वह सदक़ा जो उसने अपने माल से स्वस्थ दशा में अपने जीवनकाल में निकाला। इसका प्रतिदान उसे मरने के बाद भी मिलेगा।''

(इब्ने माज़ा, बैहक़ी)

इस हदीस में जनहित के कुछ विशेष कर्मों का उल्लेख है और उन्हें

सदक़ा–ए–जारिया (अनवरत दान) कहा गया है। इनमें यात्रियों के लिए मकान और सराय का निर्माण भी है। एक हदीस से मालूम होता है कि इस प्रकार के कामों में धन ख़र्च करना उत्तम सदक़ा है। हज़रत अबू उमामा रज़ि0 रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया–

•''सदक़ों में उत्तम सदक़ा यह है कि अल्लाह की राह में शिविर की छाया उपलब्ध कराई जाए।''

(तिरमिज़ी मुसनद अहमदः5/270)

इस हदीस में मुजाहिदों के लिए तंबुओं और छोलदारियों की व्यवस्था करने का सवाब बयान हुआ है, परन्तु इसके तहत शिक्षण प्रशिक्षण, धर्म के प्रचार प्रसार तथा हज व उमरा जैसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए केन्द्र स्थापित करना और भवन निर्माण कराना भी आ सकता है।

पानी व्यवस्थाः–

पानी जीवन की मूल आवश्यकता है आधुनिक प्रगतिशील युग में भी साफ़ और स्वच्छ पानी की उपलब्धि एक बड़ी समस्या है। इस्लाम ने इसकी ओर जिस प्रकार ध्यान आकर्षित कराया है उसका अनुमान ऊपर की इस रिवायत से लगाया जा सकता है, जिसमें अल्लाह के बन्दों के लिए नहर के निर्माण को 'सदक़ा –ए–जारिया' कहा गया है।

हज़रत साद बिन उबादा रज़ि0 की मां का देहांत हुआ तो उन्होंने चाहा कि उनकी ओर से दान पुण्य करें। अल्लाह के रसूल सल्ल0 से पूछा कि कौन सा सदक़ा सबसे अच्छा है? आपने फ़रमाया कुआं खुदवा दो। तो उन्होंने अपनी मां के नाम से कुआं खुदवा दिया।

(अबू दाऊद)

नहर और कुआं खुदवाना पानी उपलब्ध कराने का एक तरीक़ा है जो प्राचीनकाल से प्रचलित है। वर्तमान युग में ट्यूबवेल तथा नल लगाए जाते हैं। हौज़ और टैंक में पानी भर कर वितरित करना भी इसका एक तरीक़ा है। इस प्रकार इसमें पानी उपलब्ध कराने की समस्त योजनाएं आ सकती हैं और वे सब प्रतिदान की हक़दार हैं।

ज़मीन को आबाद करनाः–

बंजर भूमि को जोतना, बोना तथा कृषि योग्य बनाना और इसमें सहायता देना भी कल्याणकारी और हितकारी सेवा है। इससे सामूहिक रूप से समस्त क़ौम और पूरे देश को लाभ होता है। सरकार स्वयं भी बंजर भूमि को उपजाऊ बना कर उसकी आय कल्याण कार्यों में लगा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग उन ज़मीनों को आबाद करना चाहें उन्हें अनुमति दी जाए और उन्हें सहूलतें उपलब्ध कराई जाएं। इस्लाम ने इस बात की प्रेरणा दी है और इसे नेकी का काम बताया है कि बंजर और बेकार पड़ी हुई ज़मीनों को कृषि योग्य बनाया जाए। हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

•''जिसने किसी निर्जीव भूमि को जीवन प्रदान किया उसे इसका अज्र मिलेगा, उससे ज़रूरतमंद (इन्सान, पशु, पक्षी आदि) जो कुछ खाएंगे वह सब उसकी ओर से सदक़ा है।''

(मुसनद अहमदः 3/327)

(कान्ति पत्रिका अक्तूबर 2018 से ग्रहीत)

❖❖❖

जारी.....

प्यारे नबी की प्यारी.....

क़ब्रों पर नमाज़ पढ़ने की मुमानियतः–

हज़रत अबू मर्सद कन्नाज़ बिन हसीन रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि तुम लोग न क़ब्रों पर नमाज़ पढ़ो न उस पर बैठो।

नमाज़ी के सामने से गुज़रने की मुमानियतः–

हज़रत अबू जुहैम अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन सम्मा अंसारी रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाला अगर इसकी बुराई को जान ले तो चालीस तक ठहरना, गुज़रने से बेहतर समझे, रावी कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि चालीस दिन फरमाये या चालीस महीने या चालीस वर्ष।

(बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जब नमाज़ कायम होने लगे तो फर्ज के अलावा कोई नमाज़ दुरुस्त नहीं।

जुमा का दिन रोजे और जुमे की रात को तहज्जुद के साथ खास करने की मुमानियतः–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जुमे की रात को दूसरी रातों के मुकाबले में तहज्जुद के साथ और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास न करो।

(बुखारी)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फरमाया जुमे के दिन रोज़ा न रखो हां एक दिन बाद या एक दिन पहले मिला कर रखने में हरज नहीं। (बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत मुहम्मद बिन अब्बाद रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने जाबिर रज़ि0 से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क्या जुमे के दिन रोजा रखने से मना फरमाया है? कहा हां। (बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया बिन्ते हारिस रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जुमे के दिन मेरे घर तशरीफ लाये और मैं रोजे से थी, आपने फरमाया कल रोज़े से थी, मैंने अर्ज किया नहीं, फरमाया कल रखोगी, मैंने अर्ज किया नहीं, फरमाया तो बस रोजा इफतार कर डालो। (बुख़ारी) ◆◇◆

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

एक नवीन पुस्तिका

फन्ने हदीस में अल्लामा मो0 ताहिर पट्नी का भारत में महत्वपूण योगदान

–: मिलने का पता :–

जामिअतुन्नूर रख्तावाड़ा पट्टन गुजरात–384265

Nadwatul Ulama
P.O. Box No. 93, Tagore Marg,
Lucknow - 226007 (India)

ندوة العلمـــاء
ص.ب./٩٣، تيغورمارغ،
لکناؤ-٢٢٦٠٠٧ یوپی (الهند)

Date 09/09/2018 التاریخ ٢٨/ذی الحجہ ١٤٣٩ھ

باسمہٖ تعالیٰ

अपील बराए तामीर जदीद हास्टल

अल्लाह तआला का शुक्र है कि दारूल उलूम नदवतुल उलमा हजरत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी की संरक्षता में अपनी इल्मी व दीनी खिदमत में लगा हुआ है, दारूल उलूम में इल्मे दीन के तालिब इल्मों की अधिकता के कारण रिहाइश (निवास स्थान) की बड़ी समस्या हो गई, जिसकी वजह से तालिब इल्मों के दाखिले सीमित करने पड़ते हैं, और नये तालिब इल्मों की एक बड़ी संख्या मायूस होकर वापस हो जाती है। इस सूरतेहाल को देख कर नदवतुल उलमा की प्रबंधक कमेटी ने नये छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया है, जिसका संगे बुन्याद हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम के दस्ते मुबारक से रखा जा चुका है, और अल्लाह की मदद के भरोसे पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

इस नये छात्रावास में जो तीन मन्ज़िला होगा, 36 कमरे और 2 हाल होंगे, ताकि तालिब इल्मों की रिहाइश (निवास) के साथ दूसरी शिक्षा संबन्धित ज़रूरतें पूरी हो सकें और वह संतुष्टि होकर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

इस निर्माण कार्य पर 3,61,74,600 (तीन करोड़, एक्सठ लाख, चौहत्तर हज़ार, छः सौ) रूपये, और एक कमरे पर लगभग साढ़े चार लाख रूपये के खर्च का अन्दाज़ा है, जो इन्शाअल्लाह अहले खैर के तआवुन (सहयोग) से पूरा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर अवश्य ध्यान देंगे और नदवतुल उलमा के कार्यकर्ताओं का हाथ बटाएंगे।

हमें अल्लाह तआला पर भरोसा है कि उसकी मदद से यह अहम काम पूर्ति को पहुंचेगा।

मौ0 मु0 वाज़ेह रशीद नदवी	प्रो0 अतहर हुसैन	मौ0 सईदुररहमान आज़मी नदवी
(मोतमद तअलीम, नदवतुल उलमा)	(मोतमद माल, नदवतुल उलमा)	(मोहतमिम दारूलउलूम, नदवतुल उलमा)

चेक / ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें।

NADWATUL ULAMA
A/C NO. 10863759733 (IFSC CODE - SBIN0000125)
(State Bank of India Main Branch, Lucknow.)

और इस पते पर भेजें।

NIZAMAT OFFICE, NADWATUL ULAMA,
P.O. BOX NO. 93, TAGORE MARG,
LUCKNOW - 226007 (U.P.)

Phone: +91-522-2741316, Guest House: 2740141, Fax: 2741023
e-mail: nadwa@sancharnet.in, website: www.nadwatululama.org

उर्दू सीखये

हिन्दी जुम्लों की मदद से उर्दू जुम्ले पढ़ये

ایک باپ اپنے چھ سال کے بیٹے کے ساتھ باہر گیا، وہ ایک باغ میں پہنچا، باغ آم کا تھا،خوب پھلا ہوا تھا، کچّے پکّے آم شاخوں سے لٹک رہے تھے، باغ کا مالک باغ میں موجود نہ تھا، باپ ایک درخت پر چڑھا اور بیٹے سے کہا، بیٹے کسی کو آتے دیکھنا تو بتا دینا، ابھی باپ ایک آم بھی نہ توڑ سکا تھا کہ بیٹا چلّایا، ابّا اتر آیئے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، باپ جلدی سے نیچے آ گیا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، باپ نے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا تم نے جھوٹ بول کر اپنا ہی نقصان کیا میں آم توڑ کر لاتا. میں بھی کھاتا تم بھی کھاتے، بیٹے نے کہا میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، مجھے لگا کی آپ کی اس حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیئے آپ سے کہا کی کوئی دیکھ رہا ہے۔

एक बाप अपने छे साल के बेटे के साथ बाहर गया वह एक बाग़ में पहुंचा, बाग़ आम का था, खूब फला हुआ था कच्चे पक्के आम शाखों से लटक रहे थे, बाग का मालिक बाग में मौजूद न था, बाप एक दरख्त पर चढ़ा और बेटे से कहा बेटे किसी को आते देखना तो मुझे बता देना, अभी बाप एक आम भी न तोड़ सका था कि बेटा चिल्लाया अब्बा उतर आइये आप को कोई देख रहा है, बाप जल्दी से नीचे आ गया तो वहां कोई भी न था, बाप ने बेटे को डांटा और कहा तुम ने झूट बोल कर अपना ही नुकसान किया मैं आम तोड़ कर लाता, मैं भी खाता तुम भी खाते, बेटे ने कहा अब्बा मैं ने झूट नहीं कहा था, मुझे लगा कि आपकी इस हरकत को अल्लाह देख रहा है, इसलिए आपसे कहा कि कोई देख रहा है। ◆◆